



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072024-255656
CG-DL-E-23072024-255656

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 386]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2024/आषाढ 28, 1946

No. 386]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2024/ASHADHA 28, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 423(अ).—निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना जिसे केंद्र सरकार वायु अधिनियम की धारा 21क और जल अधिनियम की धारा 27क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचालन की सहमति और स्थापना की सहमति के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए विनियम लाने हेतु जारी करने का प्रस्ताव करती है, जिसे एतद्वारा आम जनता और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके अलावा, इसके द्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त अधिसूचना को केंद्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में मसौदा अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से साठ दिनों की समाप्ति पर या उसके बाद विचार में लिया जाएगा;

मसौदा अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईमेल पते: mishra.vp@gov.in या prasoon.tripathi76@gov.in पर लिखित रूप से ऐसा कर सकता है।

मसौदा अधिसूचना

जबकि, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 को दिशानिर्देश जारी करके सहमति तंत्र को कारगर बनाने के उद्देश्य से संशोधित किया गया था;

और जबकि, मंत्रालय ने ऐसे दिशानिर्देश तैयार करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से परामर्श किया था;

और चूंकि, इस अधिसूचना का उद्देश्य न केवल व्यापार करने में सुगमता बढ़ाना, उद्योगों के अनुपालन भार को कम करना है, बल्कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) स्तर पर कार्य में दोहराव को कम करना भी है;

और चूंकि, इस अधिसूचना को तैयार करते समय यह ध्यान रखा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण की समुचित निगरानी और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

अतः अब, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21क, तथा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 27क के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा सहमति शुल्क तथा स्थापना हेतु सहमति एवं संचालन हेतु सहमति प्रदान करने, अस्वीकार करने या रद्द करने से संबंधित दिशानिर्देश अधिसूचित करती है:

एकसमान सहमति शुल्क और स्थापना हेतु सहमति या संचालन हेतु सहमति देने, अस्वीकार करने या रद्द करने से संबंधित दिशानिर्देश

अंतर्वस्तु

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
1.0	एसपीसीबी/पीसीसी में एक समान सहमति शुल्क के लिए दिशानिर्देश	2
2.0	सहमति देने, अस्वीकार करने या रद्द करने से संबंधित दिशानिर्देश	3
2.1	स्थापना हेतु सहमति प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश	3
2.2	संचालन हेतु सहमति प्रदान करने और उसके नवीकरण के लिए दिशानिर्देश	4
2.3	सहमति को अस्वीकार करने और रद्द करने के लिए दिशानिर्देश	6
3.0	सहमति आवेदनों के प्रसंस्करण की समय सीमा	7
4.0	इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए पोर्टल	8
5.0	निगरानी समितियां	8
अनुबंध I	सामान्य सहमति और प्राधिकरण के लिए मॉडल टेम्पलेट	9
अनुबंध II	श्वेत श्रेणी उद्योग के अनुमोदन हेतु मॉडल टेम्पलेट	18
परिशिष्ट	एकसमान सहमति शुल्क तंत्र	19

1.0 एसपीसीबी/पीसीसी में एक समान सहमति शुल्क के लिए दिशानिर्देश

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (आज की तारीख तक संशोधित), वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (आज की तारीख तक संशोधित) के अंतर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) में युक्तिसंगत/एकरूप सहमति शुल्क और विभिन्न पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 (आज की तारीख तक संशोधित) के तहत प्राधिकरण के लिए दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

1.1 पूंजी निवेश

(क) औद्योगिक परिसरों (या) टाउनशिप, संयंत्रों और मशीनरी या उपकरणों के भीतर अचल परिसंपत्तियों अर्थात् भूमि, भवन जिसमें स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस आदि शामिल हैं, पर किया गया निवेश, जिसमें मूल्यहास के बिना प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए निवेश की लागत भी शामिल है।

(ख) पट्टे की भूमि और/या भवन या किसी अन्य परिसंपत्ति पर संचालित किसी उद्योग के मामले में, वार्षिक पट्टा मूल्य का दस (10) गुना लिया जाना है, जो पूंजी निवेश (या) संपत्ति/भूमि के पर्यवेक्षण मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो के बराबर होगा।

1.2 स्थापना हेतु सहमति की वैधता अवधि एवं इसका सहमति शुल्क

(क) स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) की वैधता अवधि, पूर्व पर्यावरण मंजूरी लिए जाने वाली परियोजना के मामले में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी) / राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी (ईसी) के अनुसार होगी।

(ख) यदि परियोजना/गतिविधि ईसी आवश्यक नहीं है, तो आरंभ में सीटीई न्यूनतम पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी और परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध पर इसे अधिकतम दो (02) वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे सीटीई जारी होने की तिथि से वैधता की बाह्य सीमा सात (07) वर्ष हो जाएगी।

(ग) सी.टी.ई. के लिए सहमति शुल्क, जल अधिनियम और/या वायु अधिनियम के अंतर्गत वार्षिक सहमति शुल्क का दोगुना होगा, जो परियोजना की स्थापना की सम्पूर्ण अवधि के लिए परियोजना गतिविधियों पर लागू होगा।

1.3 विभिन्न गतिविधियों के लिए सहमति शुल्क का अनुमान

पूंजी निवेश स्लैब, उद्योग का वर्गीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, खनन परियोजनाओं, कॉफी पल्लिंग, एक्का कल्चर और एकल वायु प्रदूषण स्रोत के रूप में डीजल जेनरेटर (डीजी) सेट के लिए सहमति शुल्क, सहमति के नवीकरण के लिए छूट और विलंब शुल्क, उद्योग को प्रोत्साहन, सहमति शुल्क और प्राधिकरण शुल्क में संशोधन, परिशिष्ट के रूप में दिए गए हैं।

1.4 एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा उच्च सहमति शुल्क

एसपीसीबी/पीसीसी स्थानीय पर्यावरणीय मुद्दों और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस दिशा-निर्देश में उल्लिखित कार्यप्रणाली के आधार पर सहमति शुल्क की राशि तय कर सकते हैं जो अनुमानित सहमति शुल्क से अधिकतम 20% अधिक हो सकती है। हालांकि, एसपीसीबी/पीसीसी इससे कम भी सहमति शुल्क ले सकते हैं।

1.5 सामान्य सहमति और प्राधिकरण प्रपत्र

एसपीसीबी/पीसीसी जल अधिनियम, वायु अधिनियम के तहत सामान्य सहमति और प्राधिकरण (सीसीएंडए) जारी करने और ईपीए नियमों के तहत प्राधिकरण नियमों के लिए एकल-चरणीय प्रक्रिया अपनाएंगे। तदनुसार, सामान्य सहमति और प्राधिकरण फॉर्म के लिए एक मॉडल टेम्पलेट अनुलग्नक I में दिया गया है।

2.0 सहमति देने, अस्वीकार करने या रद्द करने से संबंधित दिशानिर्देश:

2.1 स्थापना हेतु सहमति (सीटीई) प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश

(क) सीटीई आवेदन (सामान्य सहमति प्रपत्र) से संबंधित जानकारी आवेदक द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार पूर्वापेक्षित जानकारी/दस्तावेजों के साथ भरी जाएगी।

(ख) सीटीई प्राप्त करने के लिए निर्धारित पर्याप्त शुल्क का भुगतान राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आवेदन के साथ ऑनलाइन/ऑफलाइन रूप से किया जाएगा।

(ग) स्थान निर्धारण मानदंड:

i. औद्योगिक प्रतिष्ठान को यथा प्रयोज्य केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र-विशिष्ट स्थल निर्धारण मानदंडों, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी)/न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा ऐसे आदेशों/नियमों के अनुपालन में जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा।

ii. क्षेत्र-विशिष्ट स्थल निर्धारण मानदंड उपलब्ध न होने की स्थिति में, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा तैयार किए गए सामान्य दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा, अन्यथा, निम्नलिखित मानदंड (न्यूनतम दूरी) का अनुपालन किया जाएगा।

(क) राजस्व रेखाचित्र के अनुसार सतही जल निकाय (बाढ़ के मैदान/एचएफएल/लाल रेखा) की निकटतम सीमा से:

• लाल श्रेणी

: 500 मीटर से आगे

- नारंगी श्रेणी :
 - ✓ अपशिष्ट सृजन के साथ : 75 मीटर से आगे
 - ✓ अपशिष्ट सृजन के बिना : 30 मीटर से आगे
- हरी श्रेणी : 30 मीटर से आगे

(ख) बस्ती, शैक्षिक संस्थान, पूजा स्थल, पुरातात्विक स्मारक, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन, विरासत स्थल से अंतरराज्यीय सीमा को बनाए रखा जाएगा:

- लाल श्रेणी : 500 मीटर से आगे
- नारंगी श्रेणी : 250 मीटर से आगे
- हरी श्रेणी : 100 मीटर से आगे

(शोर/कंपन उत्पन्न करने वाली) मशीनों वाले उद्योगों के लिए)

नोट: उपरोक्त मानदंडों के अलावा, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी अपने मौजूदा नियमों/मानदंडों के अनुसार यदि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के संबंधित विभागों या केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा कोई निर्दिष्ट किए गए हों, जल निकायों/उपर्युक्त स्थानों से दूरी का पालन करेंगे।

- iii. उपरोक्त दूरी संबंधी मानदंड विशेष आर्थिक क्षेत्रों / दून घाटी / धानुका / ताज-ट्रेपेज़ियम, अरावली पर्वतमाला आदि पर लागू नहीं होंगे, जहां इसे संबंधित अधिसूचना के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शासित किया जाएगा।
- iv. तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) विनियमन, आर्द्रभूमि नियम, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अन्य अधिसूचनाओं या इनके तहत समय-समय पर जारी अन्य कानूनों/नियमों/अधिसूचनाओं के तहत अधिसूचित पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों, आर्द्रभूमि क्षेत्रों आदि से संबंधित गैर-अनुकूल क्षेत्रों या प्रतिबंधित/निषिद्ध क्षेत्रों में किसी भी उद्योग को स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- v. अन्य प्रचलित कानूनों, नियमों और विनियमों की प्रयोज्यता, जहां भी लागू हो, का सत्यापन किया जाएगा और उनका अनुपालन किया जाएगा।
- vi. किसी भी प्रस्तावित स्थल से गुजरने वाले प्राकृतिक/तूफानी नाले को बाधित नहीं किया जाएगा।
- vii. समय-समय पर यथा संशोधित पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना 2006 के प्रावधानों के अनुसार ईसी की प्रयोज्यता का सत्यापन किया जाएगा और उसका अनुपालन किया जाएगा।

(घ) **स्थल का सत्यापन:**

- i. एसपीसीबी/पीसीसी के संबंधित अधिकारी, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करेंगे तथा स्थान, मानव आवास, ऐतिहासिक स्मारक और संवेदनशील क्षेत्र, यदि कोई हो, की वर्तमान पर्यावरणीय स्थितियों के संबंध में प्रस्तावित गतिविधि आरंभ करने के लिए स्थल की उपयुक्तता का सत्यापन करेंगे।
- ii. आस-पास की पर्यावरणीय स्थितियों को जानने के लिए, तथा आवेदन/प्रस्ताव में प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन के लिए निरीक्षण भी किया जा सकता है। तदनुसार, बोर्ड/समिति के नामित अधिकारी को निर्णय लेने के लिए विस्तृत अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- iii. उल्लंघन/गैर-अनुपालन के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा उद्योग को सूचित किया जाना चाहिए।

(ङ) **सीटीई प्रदान करना:** सत्यापन रिपोर्ट और नामित अधिकारी/सहमति हेतु समिति की सिफारिशों के आधार पर, प्रस्तावित गतिविधियों और स्थल की अवस्थिति के आधार पर यथा प्रयोज्य सामान्य शर्तों और विशिष्ट शर्तों के साथ जल अधिनियम की धारा 25/26 और वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत इकाई को सीटीई जारी की जाएगी।

- (च) अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की 17 श्रेणियों अर्थात् लुगदी और कागज, आसवनी, चीनी, चर्म शोधन उद्योग, बिजली संयंत्र, लोहा और इस्पात, सीमेंट, तेल रिफाइनरियां, उर्वरक, क्लोरल क्षार संयंत्र, रंग और रंजक मध्यम इकाइयां, कीटनाशक, जस्ता, तांबा, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मा क्षेत्र, तथा साझा अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी), मलजल शोधन संयंत्र (एसटीपी), साझा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और साझा खतरनाक अपशिष्ट भस्मक को ऑनलाइन सतत अपशिष्ट गुणवत्ता और उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करनी होगी।
- (छ) श्वेत श्रेणी: इन्हें सीटीई/सीटीओ प्रक्रिया से छूट दी गई है। हालांकि, श्वेत श्रेणी के उद्योगों को स्व-घोषणा के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक बार अनुमति जारी की जाएगी। अनुमति के लिए एक मॉडल नमूना अनुलग्नक II में दिया गया है।
- नोट : उद्योग को, संचालित करने से पहले संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी से उत्पादों या प्रक्रियाओं के विस्तार/आधुनिकीकरण/परिवर्तन के मामले में सीटीई भी प्राप्त करना होगा।

2.2 प्रचालन की सहमति और इसका नवीकरण प्रदान करने के लिए दिशानिर्देश

उद्योग या प्रक्रिया संयंत्र के अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों के साथ स्थापित हो जाने और प्रचालन के लिए तैयार हो जाने पर, अधिभोगी को प्रचालन की सहमति प्राप्त करनी अपेक्षित होती है। तदनुसार, जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत प्रचालन की सहमति और इसका नवीकरण प्रदान करने संबंधी दिशानिर्देश निम्न प्रकार से हैं :

2.2.1 प्रचालन की सहमति (सीटीओ) :

सीटीओ जारी करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :

- क. आवेदक द्वारा सीटीओ आवेदन (सामान्य सहमति प्रपत्र) से संबंधित जानकारी, पूर्वअपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों के साथ भरी जाएगी।
- ख. सीटीओ प्राप्त करने के लिए एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार शास्ति/विलंब शुल्क, यदि कोई निर्धारित हो, के साथ पर्याप्त शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- ग. एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी सीटीई में निर्धारित शर्तों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट, अधिभोगी द्वारा क्रियान्वित ऑनलाइन सतत बहिष्काव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस), यथा लागू, के स्व-विनियमन तंत्र के साथ प्रस्तुत की जाएगी।
- घ. पर्यावरणीय स्वीकृति में और संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी निर्धारित शर्तों, यथा लागू, के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
- ङ. सत्यापन :

- i. एसपीसीबी/पीसीसी का संबंधित अधिकारी, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, विनिर्दिष्ट निस्सरण/उत्सर्जन/अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी मानदंडों, ओसीईएमएस, आदि का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीटीई के अनुपालन तथा विभिन्न संयंत्रों और यंत्रों, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं और अन्य अवसंरनाओं की संस्थापना के संबंध में उद्योग का निरीक्षण और सत्यापन करेगा।
- ii. सीटीई शर्तों/पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की निगरानी के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट, एसपीसीबी/पीसीसी के नामित अधिकारी को निर्णय लेने के लिए प्रस्तुत की जाएगी। निरीक्षण अधिकारी द्वारा उल्लंघन/अनुपालन न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके उद्योग को दिया जाना अपेक्षित है।

च. सीटीओ जारी करना :

- i. निरीक्षण रिपोर्ट और नामोद्दिष्ट अधिकारी/सहमति संबंधी समिति की संस्तुतियों के आधार पर, इकाई को जल अधिनियम की धारा 25 एवं 26 और वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत सीटीओ जारी की जाएगी।

- ii. सीटीओ में अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपायों तथा संबंधित औद्योगिक सेक्टर और क्षेत्र के लिए पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया, प्रचालनों, बहिःस्त्राव निपटान, पर्यावरणीय मानकों, दिशा-निर्देशों, स्थल-निर्धारण मानदंड, न्यायालय के निर्देशों, अधिसूचना आदि में भिन्नता के आलोक में सामान्य शर्तें और संगत विशिष्ट शर्तें समाविष्ट होंगी।
- छ. इकाई को समय-समय पर यथा निर्णीत उद्योग की श्रेणी के आधार पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए जल अधिनियम की धारा 25/26 और वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत सीटीओ जारी की जाएगी।
- ज. एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा लाल, नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योगों के अनुपालन की निगरानी तथा उनके नमूने लेने की आवृत्ति, क्रमशः अर्धवार्षिक, वार्षिक और दो (02) वर्षों में एक बार होगी।

2.2.2 नवीकरण हेतु सहमति

सीटीओ के नवीकरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :

- क. पिछले सीटीओ में निर्धारित शर्तों/बैंक गारंटी की शर्तों (यदि कोई हो)/समयबद्ध अनुपालन के लिए सीपीसीबी/संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा जारी निर्देशों (यदि कोई हों) के अनुपालन की स्थिति का अवलोकन किया जाएगा।
- ख. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अनुसार पर्यावरणीय विवरण (प्रपत्र V) तथा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के अनुसार वार्षिक विवरणी (प्रपत्र-4) का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- ग. विनिर्माण प्रक्रिया, उत्पादन क्षमता, प्रदूषण भार, मात्रा, और बहिःस्त्राव और उत्सर्जनों के निस्सरण के तरीके में परिवर्तन न करने संबंधी उद्घोषणा प्राप्त और सुनिश्चित की जाएगी।
- घ. एसपीसीबी/पीसीसी का संबंधित अधिकारी, शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, उद्योगों में जल के उपभोग और अपशिष्ट जल प्रबंधन के संबंध में संगत रिकॉर्ड के सत्यापन, बहिःस्त्राव शोधन संयंत्रों (ईटीपी)/वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (एपीसीडी) के प्रचालन, खतरनाक अपशिष्टों के उत्सर्जन और निपटान के अभिलेखों, ओसीईएमएस के कार्यकरण और इसके डेटा लॉगिंग, स्रोत पर उत्सर्जन और बहिःस्त्राव निस्सरण के विनिर्दिष्ट मानकों से अधिक होने का रिकॉर्ड रखने, लोक/वीआईपी शिकायतों का निराकरण करने आदि सहित सीटीओ की शर्तों का अनुपालन सत्यापित करेगा और निर्णय हेतु बोर्ड/समिति के नामोद्दिष्ट अधिकारी को विस्तृत अवलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- ङ. की गई अनुपालन संबंधी निगरानी और लिए गए नमूने के अनुसार बहिःस्त्राव और उत्सर्जन निस्सरण संबंधी मानदंडों का अनुपालन न होने के मामले में संबंधित अधिकारी द्वारा प्रदूषकों/उत्सर्जनों (रासायनिक अभिक्रिया/सामग्री संतुलन) का विवरण, ईटीपी और एपीसीडी/प्रणाली के डिजाइन और प्रचालन संबंधी शर्तों का ब्यौरा सत्यापित किया जाएगा और सहमति का नवीकरण करते समय निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणालियों के उन्नयन/आशोधन को शामिल किया जाना अपेक्षित होगा।
- च. उल्लंघन करने/अनुपालन न करने के कारणों को अभिलिखित किया जाना अपेक्षित है। निरीक्षण रिपोर्ट में अनुपालन की निगरानी संबंधी अभ्युक्तियों, अभिलेखों के निष्कर्षों और सहमति संबंधी शर्तों के अनुपालन पर उनके विचारों को अभिलिखित किया जाएगा। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, निर्णय लेने वाला प्राधिकारी, संविधि में यथा विचारित समुचित कार्रवाई आरंभ करेगा।
- छ. समय-समय यथा निर्णीत उद्योग की श्रेणी के आधार पर किसी विशिष्ट अवधि के लिए जल अधिनियम की धारा 25/26 और वायु अधिनियम की धारा 21 के तहत इकाई की सीटीओ का नवीकरण किया जाएगा।
- ज. उद्योगों के निरीक्षण को कम करने के लिए, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा लाल, नारंगी और हरी श्रेणी के उद्योगों के अनुपालन की निगरानी तथा उनके नमूने लेने की आवृत्ति क्रमशः अर्धवार्षिक, वार्षिक और दो (02) वर्षों में एक बार होगी।

2.3 सहमति को अस्वीकार और रद्द करने संबंधी दिशानिर्देश

एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा लगाई गई सहमति संबंधी शर्तों का पालन न करने के लिए जल अधिनियम की धारा 27 और वायु अधिनियम की धारा 21 के अनुसार सहमति को अस्वीकार या रद्द किया/ वापस लिया (जितनी अवधि के लिए इसे प्रदान किया जाता है उसकी समाप्ति से पहले या उक्त अवधि की समाप्ति के बाद आगे की अवधि के लिए सहमति को अस्वीकार करना) जाता है। निम्नलिखित कारणों से सहमति की अस्वीकृति लागू की जाती है/इस पर विचार किया जा सकता है :

- क) स्थल-निर्धारण मानदंड का उल्लंघन करना, उद्योग सीटीई के मामले में केन्द्र/राज्य के स्थल-निर्धारण संबंधी मानदंडों को पूरा नहीं करता है।
- ख) सहमति और पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन न करना।
- ग) उनकी प्रक्रिया और इसके प्रचालन में भिन्नता।
- घ) बहिःस्त्राव निपटान/उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करना और ईटीपी/एपीसीडी/अस्थायी उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली या किसी अन्य विनिर्दिष्ट उपकरण को उन्नत करने में विफलता।
- ङ) न्यायालय के निर्देशों, दिशानिर्देशों तथा अधिसूचनाओं और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का पालन न करना।
- च) पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुंचाने वाला बहिःस्त्राव/उत्सर्जन का दुर्घटनावश निस्सरण होना।
- छ) दुर्घटना होने के परिणामस्वरूप मौजूदा ईटीपी/एपीसीडी प्रणालियों को क्षति पहुंचना।
- ज) सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अधिरोपित अपेक्षित सहमति शुल्क, पर्यावरणीय मुआवजा/विलंब शुल्क/बैंक गारंटी का भुगतान न करना।
- झ) केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रस्तावित उद्योग।
- ञ) अधूरी जानकारी या गलत जानकारी प्रस्तुत करना या प्रस्तावित संयंत्र से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाना।
- ट) किसी भी मौजूदा नियम/विनियम का उल्लंघन।

सहमति प्रदान करने संबंधी किसी भी आवेदन को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा और अस्वीकार करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा तथा आवश्यक निर्देशों, जो भी उचित हों, के साथ आवेदक को विधिवत सूचित किया जाएगा।

3.0 सहमति संबंधी आवेदनों के प्रक्रमण हेतु समय-सीमा :

- 3.1 जल अधिनियम और वायु अधिनियम में कार्यकलापों/उद्योगों द्वारा स्थापना/प्रचालन के लिए सहमति प्राप्त करने का उपबंध किया गया है। संशोधित वायु और जल अधिनियम के उपबंधों के अधीन, सहमतियां जारी करने की समय-सीमा इस पैरा द्वारा शासित होगी।
- 3.2 एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा स्थापना के लिए सहमति, प्रचालन के लिए सहमति, सहमति के नवीकरण, विस्तार संबंधी कार्यकलापों के लिए सहमति, संशोधन, सहमति के विस्तार संबंधी आदेश जारी करने के लिए हर स्थिति में प्राप्त आवेदनों के प्रक्रमण हेतु प्राप्ति की तारीख से अधिकतम समय सीमा निम्नानुसार होगी :

सहमति जारी करने के लिए समय-सीमा

क्र.सं.	आवेदन	समय-सीमा (दिन)*		
		लाल #	नारंगी #	हरा#
1.	स्थापित करने के लिए सहमति/अस्वीकृति	60	45	30
2.	प्रचालन करने के लिए पहली सहमति प्रदान/अस्वीकार करना	90	60	30
3.	सहमति का नवीकरण/ विस्तार/ संशोधन प्रदान/अस्वीकार करना	120	60	30

* हर प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से।

जैसाकि समय-समय पर सीपीसीबी द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

- 3.3 सहमति, ऊपर निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्रदान या अस्वीकार की जाएगी।
- 3.4 एसपीसीबी/पीसीसी के उपरोक्त समय-सीमा के भीतर सहमति प्रदान या अस्वीकार करने में विफल रहने के मामले में आवेदन, नीचे पैरा 5.2 में संदर्भित राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) को प्रस्तुत किया जाएगा। यह समिति, ऐसे प्रस्तुतीकरण के 30 दिनों, या वायु और जल अधिनियमों में उपबंधित समग्र सीमा, जो भी पहले हो, के भीतर आवेदन का निपटान करेगी। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सदस्य सचिव, समिति के समक्ष उक्त मामले को प्रस्तुत करेंगे।
- 3.5 ऐसे आवेदन के संबंध में निर्णय लेते समय समिति, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति प्रदान/अस्वीकार करने में हुए विलंब के कारणों को भी ध्यान में रखेगी। यदि यह पाया जाता है कि विलंब के कारण औचित्यसम्मत नहीं हैं, तो समिति एसपीसीबी/पीसीसी के उत्तरदायी अधिकारी (अधिकारियों) के विरुद्ध समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है। समिति, वायु/जल अधिनियम के उल्लंघन के मामले को जल अधिनियम की धारा 48(2) और वायु अधिनियम की धारा 38क(2) के तहत संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश कर सकती है।
- 3.6 समिति का निर्णय संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी पर बाध्यकारी होगा। समिति की एक माह की अवधि में कम से कम एक बैठक होगी।
- 3.7 उपरोक्त समिति इन दिशा-निर्देशों के अनुपालन के संबंध में एसपीसीबी/पीसीसी की निगरानी भी करेगी और जहां भी अपेक्षित होगा, उचित कार्रवाई करेगी।
- 3.8 सहमति तंत्र के संबंध में एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा बनाई गई कोई भी नीति, इन दिशानिर्देशों के अधीन होगी।
- 4.0. इन दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन हेतु पोर्टल :**
- 4.1 एसपीसीबी/पीसीसी के परामर्श से सीपीसीबी, इन दिशानिर्देशों के क्रियान्वयन के लिए अधिमानतः छह (06) महीनों के भीतर और इस अधिसूचना की तारीख से एक (01) वर्ष से पूर्व एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित करेगा।
- 4.2 यह पोर्टल, सभी हितधारकों के बीच अनन्य इंटरफेस होगा और इसका उपयोग जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत सीटीई/सीटीओ प्रदान करने, अस्वीकार करने और वापस लेने, प्रक्रिया की निगरानी तथा एसएलएमसी द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत मामलों के निपटान के लिए किया जाएगा।
- 4.3 यह पोर्टल, इन दिशानिर्देशों के प्रबंधन और क्रियान्वयन के संबंध में एकल बिंदु डेटा संग्रह के रूप में कार्य करेगा।
- 4.4 जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वायु और जल अधिनियम के संबंध में सीटीई/सीटीओ से संबंधित सभी पद्धतियां और प्रक्रियाएं, केवल इस पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। तथापि, जब तक पोर्टल प्रचालनात्मक नहीं हो जाता, सीटीई/सीटीओ के लिए आवेदनों के प्रक्रमण हेतु वैकल्पिक तरीके का उपयोग किया जा सकता है।
- 5.0 निगरानी समितियां :**
- 5.1 इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण और निगरानी करने तथा इस संबंध में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निगरानी समिति होगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :
- | | | | |
|----|--|---|---------|
| क) | संयुक्त/अपर सचिव, सी.पी. प्रभाग,
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | - | अध्यक्ष |
| ख) | सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड | - | सदस्य |
| ग) | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा | - | सदस्य |

तीन (03) वर्षों के लिए आवर्तन में नामित किन्हीं

तीन (03) एसपीसीबी/पीसीसी के सदस्य सचिव

5.2 इन दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करने और उपरोक्त पैरा 3.4 के अंतर्गत बताए गए मामलों का निपटान करने के लिए एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति भी होगी। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे :

क)	प्रभारी सचिव, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का पर्यावरण विभाग	-	अध्यक्ष
ख)	संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के सदस्य सचिव	-	सदस्य
ग)	अधिकार-क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक, सीपीसीबी	-	सदस्य

[फा. सं. क्यू-15012/1/2022-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

संलग्नक-1

सामान्य सहमति और प्राधिकार देने के लिए मॉडल टेम्पलेट

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 या धारा 26 के तहत निस्सरण या निस्सरण को जारी रखने के लिए उद्योग प्रचालन प्रक्रिया या किसी शोधन निपटान प्रणाली की स्थापना के लिए सामान्य सहमति और प्राधिकार (सीसीए) के लिए आवेदन; वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत उत्सर्जन करने/उत्सर्जन जारी रखने के लिए सहमति तथा खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकार

प्रेषक

प्रापक

सदस्य सचिव

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/समिति

श्रीमान,

मैं/हम एतद्वारा ----- के लिए आवेदन करते हैं :

1. मलजल/औद्योगिक बहिःस्राव के निस्सरण या निस्सरण को जारी रखने के लिए किसी नए/परिवर्तित आउटलेट का उपयोग करने के लिए उद्योग/प्रचालन प्रक्रिया या सह शोधन और निपटान प्रणाली की स्थापना/प्रचालन करने या स्थापना/प्रचालन के लिए कोई कदम उठाने के लिए यथा संशोधित जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केंद्रीय अधिनियम 6) की धारा 25 और 26 के तहत सहमति/सहमति का नवीकरण;

2. उद्योग की स्थापना/प्रचालन, प्रचालन या प्रक्रिया या शोधन और वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन या उत्सर्जनों की निरंतरता के लिए यथा संशोधित वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केंद्रीय अधिनियम 14) की धारा 21 के तहत सहमति/सहमति का नवीकरण;

3. नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार स्थान - _____ पर मैसर्स _____ के स्वामित्व वाली भूमि/परिसर से खतरनाक और अन्य अपशिष्टों के उत्सर्जन या एकत्रण या भंडारण या परिवहन या प्राप्ति या पुनर्चक्रण या पुनःउपयोग या पुनर्प्राप्ति या पूर्व-प्रसंस्करण या सह-प्रसंस्करण या उपयोग या शोधन या निपटान के लिए यथा संशोधित खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2016 की धारा 6(1) के तहत प्राधिकार प्रदान/प्राधिकार का नवीकरण करना :

आवेदक द्वारा भरा जाए

भाग क : सामान्य

क्र.सं.	अपेक्षित ब्यौरा	:																			
1.0	परियोजना ब्यौरा :																				
1.1	परियोजना/उद्योग/टीएसडीएफ का नाम	:																			
1.2	परियोजना प्रस्ताव	:	नया/विस्तारण/नवीकरण/वैधता विस्तार/स्थानांतरण																		
1.3	पर्यावरण स्वीकृति का ब्यौरा	:																			
1.4	स्थल/इकाई का पता	:	<table border="1"> <tr> <td>प्लॉट/सर्वेक्षण सं.</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>गाँव</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>तहसील</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ज़िला</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>पिन कोड</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	प्लॉट/सर्वेक्षण सं.	:		गाँव	:		तहसील	:		ज़िला	:		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	:		पिन कोड	:	
प्लॉट/सर्वेक्षण सं.	:																				
गाँव	:																				
तहसील	:																				
ज़िला	:																				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	:																				
पिन कोड	:																				
2.0	आवेदक/अधिवासी का विवरण :																				
2.1	आवेदक/अधिवासी का नाम	:																			
2.2	पदनाम	:																			
2.3	अधिवासी की राष्ट्रियता	:																			
2.4	पत्राचार का पता	:	<table border="1"> <tr> <td>प्लॉट/सर्वेक्षण सं. /सड़क का नाम</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>गाँव/कस्बा/शहर</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>तहसील/तालुक</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ज़िला</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>पिन कोड</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	प्लॉट/सर्वेक्षण सं. /सड़क का नाम	:		गाँव/कस्बा/शहर	:		तहसील/तालुक	:		ज़िला	:		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	:		पिन कोड	:	
प्लॉट/सर्वेक्षण सं. /सड़क का नाम	:																				
गाँव/कस्बा/शहर	:																				
तहसील/तालुक	:																				
ज़िला	:																				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	:																				
पिन कोड	:																				
2.5	संयंत्र प्रमुख का संपर्क विवरण और वैकल्पिक विवरण	:	<table border="1"> <tr> <td>नाम और पदनाम:</td> <td>:</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>ई-मेल एड्रेस</td> <td>:</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>लैंडलाइन नंबर</td> <td>:</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>2.</td> </tr> </table>	नाम और पदनाम:	:	1.		:	2.	ई-मेल एड्रेस	:	1.		:	2.	लैंडलाइन नंबर	:	1.		:	2.
नाम और पदनाम:	:	1.																			
	:	2.																			
ई-मेल एड्रेस	:	1.																			
	:	2.																			
लैंडलाइन नंबर	:	1.																			
	:	2.																			

			मोबाइल नंबर	:	1.
				:	2.
3.0	कंपनी की विधिक स्थिति :				
3.1	व्यक्तिगत/संबंधित मालिक/साझेदारी फर्म/संबंधित संयुक्त परिवार/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/विदेशी कंपनी/सीमित देयता भागीदारी। <i>नोट: पंजीकरण संख्या और प्राधिकरण का उल्लेख किया जाना चाहिए।</i>	:			
3.2	केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/संयुक्त उद्यम (निजी+सरकारी), (सरकार+सरकारी), (निजी+निजी)	:			
4.0	परियोजना/उद्योग/गतिविधि का स्थान :				
4.1	स्थान	:	केएमएल अपलोड करें		
4.2	क्षेत्रफल चौड़ाई (उत्तर) (दशमलव के बाद के 8 अंक)	:	से	:	
			तक	:	
4.3	क्षेत्रफल लंबाई (पूर्व) (दशमलव के बाद के 8 अंक)	:	से	:	
			तक	:	
4.4	संरक्षित क्षेत्र के पारि-संवेदनशील क्षेत्र में स्थित, तटीय विनियमन क्षेत्र, जैवमंडल, जलाशय, वन, मैंग्रोव, नदियाँ, पुरातात्विक स्मारक, गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र, मानकों को प्राप्त नहीं करने वाले शहर, प्रदूषित नदी खंड, हिल स्टेशन (ऊँचाई > 600 मीटर), प्रमुख कस्बे और शहर	:			
4.4	भारतीय सर्वेक्षण की टोपो शीट संख्या	:			
4.5	भूमि विवरण (पंचायत, तहसील, जिले के अनुसार)	:	स्वामित्व/पट्टे पर	:	
			कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	:	
			क) गैर-वन, हेक्टेयर में	:	
			ख) वन, हेक्टेयर में	:	
			पट्टे का वार्षिक मूल्य, पट्टे को रूपये में लिए जाने के मामले में	:	
			तैयार किया गया क्षेत्रफल वर्ग मीटर में	:	
			कुल क्षेत्रफल का हरित पट्टी	:	

			आवरण प्रतिशत में		
4.6	भूमि का विस्तार वर्ग मीटर में	:	स्वयं कृषि	:	
			औद्योगिक	:	
			परिवर्तित	:	
			औद्योगिक क्षेत्र	:	
			क) आवेदन किया गया और आवंटित नहीं किया गया	:	
			ख) आवेदन किया गया और आवंटित किया गया	:	
			ग) पट्टे पर लिया गया	:	
5.0	परियोजना/उद्योग/गतिविधि की श्रेणी और वर्गीकरण:				
5.1	उद्योग की श्रेणी (लाल, नारंगी और हरा)	:	श्रेणी	:	
			प्रदूषण सूचकांक	:	
5.2	औद्योगिक क्षेत्र/प्रकार	:			
5.3	अत्यधिक प्रदूषणकारी/17 श्रेणी/ अन्य	:			
5.4	पूँजी निवेश के आधार पर उद्योग का पैमाना (सूक्ष्म/लघु/मध्यम/बड़ा)	:	कुल पूँजी निवेश (रूपये में)	:	
			पैमाना/वर्गीकरण	:	
5.5	उत्पाद/सह-उत्पाद विनिर्माण क्षमता (टीपीडी/टीपीए)	:	उत्पाद/सह-उत्पाद	:	क्षमता
				:	
				:	
				:	
5.6	विनिर्माण क्षमता के लिए कच्चे माल/रसायनों की खपत (टीपीडी और टीपीए)	:	कच्चा माल	:	उपभोग
				:	
				:	
				:	
5.7	संक्षिप्त विनिर्माण प्रक्रिया के साथ प्रक्रिया प्रवाह चार्ट और सामग्री संतुलन, प्रौद्योगिकी का लाभ आदि	:	संलग्न किया जाना है		
5.8	उत्पादन शुरू होने की तिथि/ अपेक्षित तिथि	:			
5.9	नियोजित किए जा चुके/नियोजित किये जाने वाले लोगों की संख्या	:			
5.10	उद्योग में शिफ्ट/साप्ताहिक अवकाश	:	शिफ्ट (I/II/III) और घंटों में	:	
			साप्ताहिक अवकाश के दिन	:	
5.11	एमएसआईएचसी नियमों के अनुसार खतरनाक रसायनों का उपयोग	:	क्र. सं.	रसायन	एचएस कोड
				भंडारण	दैनिक खपत

						क्षमता	

भाग ख: अपशिष्ट जल पहलू

6.0	जल उपयोग और अपशिष्ट जल संचयन						
6.1	जल का स्रोत	:	भूजल/नदी/औद्योगिक एस्टेट आपूर्ति/निजी टैंकर/समुद्र/पुनर्चक्रित/कोई अन्य, यदि कोई हो				
6.2	अनुमति देने वाला प्राधिकरण एवं अनुमति दी गई मात्रा	:	प्राधिकरण: मात्रा :				
6.3	विनिर्माण क्षमता के लिए जल खपत (केएलडी)	:					
6.4	विनिर्माण क्षमता के लिए जल का उपयोग. (विभिन्न बिंदुओं पर टीडीएस की मात्रा दर्शाते हुए शेष जल का विवरण संलग्न करें)	:	उद्देश्य	:	केएलडी		
			घरेलू	:			
			प्रक्रमण	:			
			भट्टी	:			
			अन्य उपयोगिताएँ (कृपया निर्दिष्ट करें)	:			
6.5	विनिर्माण प्रक्रिया के लिए अपशिष्ट जल संचयन (केएलडी) विभिन्न स्रोतों से अपशिष्ट जल	:	केएलडी				
			उद्देश्य	:	केएलडी		
			घरेलू	:			
			प्रक्रमण	:			
			अन्य उपयोगिताएँ (कृपया निर्दिष्ट करें)	:			
6.6	अपशिष्ट जल शोधन प्रणालियाँ	:	बहिःस्त्राव का प्रकार	:	केएलडी	शोधन प्रणाली	
			जैव-अपघटकीय	:			
			गैर-जैव-अपघटकीय	:			
			भट्टियों का फटना	:			
			अन्य उपयोगिताएँ	:			
			कोई अन्य	:			
			कुल	:			
6.7	जल-मल शोधन संयंत्र(संयंत्रों) का विवरण	:	क्र. सं.	एसटीपी की क्षमता	:	केएलडी	
			1.				
			2.				
	शोधित अपशिष्ट के निपटान का तरीका	:					
6.8	बहिःस्त्राव शोधन संयंत्र(संयंत्रों) का विवरण	:	क्र. सं.	ईटीपी की क्षमता	:	केएलडी	
			1.				
			2.				
	शोधित अपशिष्ट के निपटान का तरीका	:					
6.9	शोधित अपशिष्ट जल टैंक, सुरक्षा संबंधी तालाब, यदि कोई हो, की	:					

	क्षमता		
6.10	प्रत्येक इकाई संचालन/प्रक्रिया की इनलेट/आउटलेट विशेषताओं के साथ शोधन योजना का योजनाबद्ध आरेखन	:	संलग्न किया जाना है
6.11	बहिःस्राव का पीएच, एसएस, टीडीएस और प्रमुख आयनों, बीओडी/सीओडी, तेल और ग्रीस के संबंध में शोधन से पहले और शोधन के बाद (अंतिम आउटलेट पर) की गुणवत्ता और प्रक्रमण/मानकों के अनुसार प्रासंगिक धातु और पोषक तत्व (ईपीए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से अशोधित और शोधित अपशिष्ट की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें) नोट: प्रस्तावित इकाई के लिए बहिःस्राव की अपेक्षित विशेषताएं प्रस्तुत करें	:	संलग्न किया जाना है
6.12	नदी/खाड़ी, मुहाना/नाली (सीवर का मालिक)/समुद्र/सीईटीपी से जुड़ी हुई भूमि का नाम	:	
6.13	एचएंडओडब्ल्यू नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल किए गए अपशिष्टों में 'खतरनाक' और 'अन्य' श्रेणी के अलग-अलग ठोस अपशिष्टों का विवरण और एचएंडओडब्ल्यू नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल नहीं किए गए अन्य ठोस अपशिष्टों का विवरण, जिसमें उनकी प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है	:	संलग्न किया जाना है
6.14	शोधन-निष्पादन और पर्यावरणीय-अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली का विवरण	:	संलग्न किया जाना है
6.15	उपरोक्त मदों में शामिल न की गई कोई भी प्रासंगिक जानकारी	:	

भाग ग: वायु उत्सर्जन पहलू

(चिमनी वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में सूचना आवश्यक है)

7.0	ईंधन के प्रकार						
7.1	विनिर्माण क्षमता के लिए प्रति घंटा और टीपीडी ईंधन खपत	:	क्र. सं.	ईंधन	मात्रा	राख%	एस%
			1.	कोयला			
			2.	डीज़ल			
			3.	भट्टी में उपयोग किए जाने वाला तेल			
			4.	प्राकृतिक गैस			
			5.	लकड़ी			
			6.	अन्य, यदि कोई हो			
7.2	चिमनी का विवरण (प्रक्रमण, ईंधन, डीजी): क) व्यास के साथ चिमनियों और निकासों की संख्या (मीटर में)						

	ख) प्रत्येक चिमनी और निकास से धुआं उत्सर्जन की गुणवत्ता और मात्रा ग) फ्यूगिटिव उत्सर्जन के प्रमुख औद्योगिक प्रक्रमण/स्रोत घ) उत्सर्जन से निपटने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण इकाइयों का संक्षिप्त विवरण								
	चिमनी	से जुड़ा	ईंधन	ऊंचाई (मीटर)	व्यास (मीटर)	प्रदूषण	नियंत्रण प्रणाली	पोर्ट होल और प्लेटफार्म	
7.3	डी.जी. सेट				:	क्र. सं.	केवीए	ध्वनिक स्थिति	ऊंचाई (मीटर)
7.4	प्रक्रमण/मानकों के अनुसार PM, SO ₂ , NO _x , और अन्य प्रासंगिक वायु प्रदूषकों के संबंध में स्रोत उत्सर्जन की गुणवत्ता (शोधन/नियंत्रण से पहले) और शोधन/नियंत्रित उत्सर्जन के बाद (चिमनी/वेंट पर) (ईपीए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से चिमनी से होने वाले उत्सर्जन की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें) नोट: प्रस्तावित इकाई के लिए उत्सर्जन की अपेक्षित विशेषताएं प्रस्तुत करें				:	संलग्न किया जाना है			
7.5	गंधयुक्त यौगिक, यदि कोई हो, तथा नियंत्रण उपाय, जो उपलब्ध कराए गए हों				:				
7.6	शोधन/शोधन/निष्पादन और पर्यावरणीय-अनुपालन निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणाली का विवरण				:				
7.7	उपरोक्त मदों में शामिल न की गई कोई भी प्रासंगिक जानकारी				:				

भाग घ: खतरनाक अपशिष्ट पहलू

(खतरनाक अपशिष्ट सृजन करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मामले में सूचना आवश्यक है)

8.0	खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन								
8.1	खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया				:	क्र. सं.	प्रक्रमण	अनुसूची I का खंड	मात्रा/वर्ष

8.2	निम्न के लिए अनुमति आवश्यक है	:	क्र. सं.	गतिविधि	:	कृपया सही का निशान लगाएं
			1.	सृजन	:	
			2.	संग्रहण	:	
			3.	भंडारण	:	
			4.	परिवहन	:	
			5.	रिसेप्शन	:	
			6.	पुनः उपयोग	:	
			7.	पुनर्चक्रण	:	
			8.	पुनःप्राप्ति	:	
			9.	पूर्व-प्रसंस्करण	:	
			10.	सह-प्रसंस्करण	:	
			11.	उपयोग	:	
			12.	शोधन	:	
			13.	निपटान	:	
14.	भस्मीकरण	:				
8.3	तकनीकी क्षमताएं/सुविधाएं	:	क्र. सं.	क्षमताएं	:	
			1.	भंडारण क्षेत्र	:	
			2.	भंडारण मात्रा	:	
			3.	भंडारण की विधि	:	
			4.	विशेष हथालन आवश्यकता, यदि कोई हो	:	
			5.	आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रक्रिया	:	
6.	निक्षालन शोधन	:				
8.4	अपशिष्ट की प्रकृति (विशेषताएं) एवं मात्रा	:	क) प्रति वर्ष प्रबंधित: ख) किसी भी समय संग्रहीत:			
8.4	उपरोक्त अपशिष्टों के प्रबंधन/ निपटान का तरीका	:	क्र. सं.	निपटान	:	कृपया सही का निशान लगाएं
			1.	औद्योगिक इकाई के भीतर सुरक्षित भंडारण	:	
			2.	संयंत्रों के भीतर उपयोग (यदि नहीं, तो कृपया उपयोग का विवरण प्रदान करें)	:	
3.	सामान्य टीएसडीएफ	:				

				राज्य के भीतर	:	
				राज्य के बाहर	:	
		4.		अन्य	:	
8.5	वास्तविक उपयोगकर्ताओं/ टीएसडीएफ तक एच.डब्ल्यू. के परिवहन की व्यवस्था	:				
8.6	उपरोक्त बिंदु (ग) में शामिल सभी अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान के लिए बनाए गए पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और पर्यावरण सुविधाओं का विवरण;					
8.7	खतरनाक रसायनों, खतरनाक रसायनों के विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989 के तहत परिभाषित, के भंडारण से इन नियमों के अनुसार सृजित खतरनाक और अन्य अपशिष्ट।					
8.8	शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ) संचालकों के लिए	:				
						<p>1. कृपया सुविधा का विवरण प्रदान करें जिसमें निम्न शामिल हैं:</p> <p>क) लेआउट मानचित्र के साथ साइट का स्थान</p> <p>ख) अपशिष्ट का सुरक्षित भंडारण एवं भंडारण क्षमता</p> <p>ग) शोधन प्रक्रियाएँ और उनकी क्षमताएँ</p> <p>घ) सुरक्षित लैंडफिल</p> <p>ङ) भस्मीकरण, यदि कोई हो</p> <p>च) निक्षालन संग्रहण और शोधन प्रणाली</p> <p>छ) अग्निशमन प्रणालियाँ</p> <p>ज) पर्यावरण प्रबंधन योजना जिसमें निगरानी और</p> <p>झ) जनरेटरों से अपशिष्ट के परिवहन की व्यवस्था।</p> <p>2. कृपया टीएसडीएफ स्थल पर की गई अन्य गतिविधियों का विवरण प्रदान करें:</p>
						<p>टिप्पणी:</p> <p>1. प्राधिकरण के नवीकरण के मामले में, जहां भी लागू हो, पूर्व प्राधिकरण संख्या और दिनांक तथा पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सहित पिछले तीन वर्षों के वार्षिक रिटर्न की प्रतियां उपलब्ध कराएं।</p> <p>2. आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना (ईआरपी) की एक प्रति प्रदान करें जिसमें आपातकालीन परिस्थितियों (जैसे अधिप्लाव या रिसाव या आग) से निपटने के लिए प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए जैसा कि सीपीसीबी के दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट है। इस तरह के ईआरपी में निम्नलिखित शामिल होंगे, लेकिन निम्न तक ही सीमित नहीं होंगे:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ घटनाओं को रोकना और नियंत्रित करना ताकि इनके प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके तथा व्यक्तियों, पर्यावरण और संपत्ति को होने वाले खतरे को सीमित किया जा सके; ➤ व्यक्तियों और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों का कार्यान्वयन; ➤ घटनाओं की स्थितियों को नियंत्रित करने और उनके परिणामों को सीमित करने के लिए की जाने

	<p>वाली कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें उपलब्ध सुरक्षा उपकरणों और संसाधनों का विवरण भी शामिल है ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ कर्मचारियों को उन कर्तव्यों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिनका उनसे निष्पादन अपेक्षित है; ➤ संबंधित प्राधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं को सूचित करने की व्यवस्था; तथा ➤ ऑफ-साइट उपशमन कार्रवाई में सहायता प्रदान करने की व्यवस्था। <p>3. खतरनाक और अन्य अपशिष्टों का निपटान करते समय अधिप्लाव, रिसाव या आग लगने की स्थिति में बैंक गारंटी जमा करने की गुंजाइश सहित सभी प्रावधानों का पालन करने के लिए वचनबद्धता या स्व-घोषणा प्रदान करें।</p>
8.9	<p>पुनर्चक्रणकर्ताओं या पूर्व-प्रक्रमणकों या सह-प्रसंस्करणकर्ताओं या खतरनाक या अन्य अपशिष्टों के उपयोगकर्ताओं के लिए</p> <p>: क) घरेलू स्रोतों या आयातित या दोनों से प्रति वर्ष प्राप्त विभिन्न अपशिष्टों की प्रकृति और मात्रा</p> <p>ख) जिला उद्योग केंद्र या किसी अन्य प्राधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा जारी पंजीकरण के अनुसार संस्थापित क्षमता।</p> <p>ग) भंडारण क्षमता सहित अपशिष्टों के सुरक्षित भंडारण का विवरण प्रदान करें।</p> <p>घ) प्रक्रमण विवरण जिसमें उपकरण विवरण, इनपुट और आउटपुट (इनपुट अपशिष्ट, रसायन, उत्पाद, सह-उत्पाद, सृजित अपशिष्ट, उत्सर्जन, अपशिष्ट जल, आदि) को दर्शाने वाले प्रक्रमण प्रवाह पत्रक शामिल है।</p> <p>ङ) उत्पादों या सह-उत्पादों के अंतिम उपयोगकर्ताओं का विवरण प्रदान करें।</p> <p>च) अपशिष्ट निपटान के तरीके सहित प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों जैसे कि अपशिष्ट शोधन संयंत्र, स्क्रबर आदि का विवरण प्रदान करें</p> <p>छ) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों का विवरण प्रदान करें:</p> <p>ज) क्या यह संयंत्र केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थापित किया गया है? यदि हाँ, तो दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।</p> <p>झ) अपशिष्ट को संयंत्र तक ले जाने की व्यवस्था:</p>
8.10	<p>उपरोक्त मदों में शामिल न की गई कोई भी प्रासंगिक जानकारी</p> <p>:</p>

भाग ई: भुगतान विवरण

9.0	भुगतान विवरण	
9.1	भुगतान का प्रकार	: ऑनलाइन/ऑफ़लाइन
9.2	ऑनलाइन लेनदेन के मामले में लेनदेन का विवरण	: लेन-देन संख्या: तारीख: स्थिति:
9.3	ऑफ़लाइन होने की स्थिति में ड्राफ्ट का विवरण	: राशि (रु.) : ड्राफ्ट नं : के पक्ष में :

			बैंक का नाम: तारीख:
9.4	सहमति और प्राधिकार शुल्क का ब्यौरा	:	1. जल अधिनियम के अंतर्गत सहमति शुल्क: 2. वायु अधिनियम के अंतर्गत सहमति शुल्क: 3. एचडब्ल्यू नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण शुल्क:

घोषणा

- क) मैं/हम घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है। मैं/हम जानते हैं कि कोई भी गलत जानकारी देना जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 42(च) और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 38(च) के अंतर्गत दंडनीय है।
- ख) मैं/हम यह प्रस्तुत करते हैं कि कच्चे माल, उत्पादों, विनिर्माण प्रक्रियाओं और शोधन और/या अपशिष्ट, उत्सर्जन, खतरनाक अपशिष्ट आदि के निपटान की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में इस आवेदन में बताई गई बातों में किसी भी तरह के बदलाव की स्थिति में; सहमति/प्राधिकार के लिए एक नया आवेदन किया जाएगा और जब तक नई सहमति/प्राधिकार प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मैं/हम जानते हैं कि जल अधिनियम की धारा 25, वायु अधिनियम की धारा 21 का उल्लंघन जल और वायु अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक प्रावधानों को लागू करता है।
- ग) मैं/हम इसके साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करते हैं जिसके आधार पर मुझे/हमें स्थापना के लिए सहमति जारी की जाएगी और मैं/हम किसी भी भ्रामक/गलत अभ्यावेदन के लिए जल अधिनियम की धारा 45 (क) और/या वायु अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत उत्तरदायी ठहराए जाएंगे।
- घ) मैं/हम, बोर्ड/समिति द्वारा मांगे जाने के एक माह के भीतर कोई अन्य जानकारी प्रस्तुत करने का वचन देते हैं।

दिनांक:

अधिभोगी का नाम एवं हस्ताक्षर/

स्थान:

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

टिप्पणी: उद्योग के लिए स्थापना की सहमति के मामले में धारा 6.11, 6.13, 6.14, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 और 8.9 लागू नहीं हैं।

अनुबंध - II

श्वेत श्रेणी उद्योग के लिए अनुमोदन हेतु मॉडल टेम्पलेट

सेवा में

विषय: जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सहमति प्रक्रिया से छूट प्रदान करने के लिए अनुमोदन जारी करने के अनुरोध के संबंध में अनुरोध ।

संदर्भ:

1. जल अधिनियम और वायु अधिनियम की धारा 18(1)(बी) के तहत सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देश

2. पुनर्वर्गीकरण पर एसपीसीबी/पीसीसी की अधिसूचना संख्या _____ दिनांक _____
3. जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रावधान
4. आपका पत्र दिनांक _____

महोदय,

_____ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) / प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत आपके उद्योग / गतिविधि को सहमति प्रक्रिया से छूट देने के संबंध में अनुमोदन जारी करने के लिए दिनांक _____ का आपका सूचनापत्र/घोषणापत्र प्राप्त हुआ है।

आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, घोषणापत्र और शपथ-पत्र तथा उत्पादन प्रक्रिया प्रवाह शीट की जांच की गई है और यह पाया गया है कि आप के उत्पादन में संलग्न हैं/ उत्पादन करने का प्रस्ताव रखते हैं और इस प्रकार आपके द्वारा प्रस्तावित/ जारी रही गतिविधि को श्वेत श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और सहमति के दायरे से छूट दी गई है।

उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, _____ में स्थित मैसर्स _____ को जल अधिनियम और वायु अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड/समिति के सीटीई/सीटीओ के लिए आवेदन करने और उसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ऊपर बताई गई प्रस्तावित गतिविधि/प्रचालित गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होता है।

दिनांक:

स्थान:

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

नोट: इस अनुमोदन का सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीबी द्वारा यादृच्छिक सत्यापन किया जा सकता है

परिशिष्ट

समान सहमति शुल्क प्रक्रिया

क) पूंजी निवेश स्लैब:

सहमति शुल्क के आकलन के लिए पूंजी निवेश पर विचार किया जाता है; तदनुसार, सुझाए गए स्लैब निम्नानुसार हैं:

- क) 1 करोड़ रुपये और उससे कम
- ख) 1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
- ग) 10 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
- घ) 50 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
- ङ) 250 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
- च) 500 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं
- छ) 1000 करोड़ रुपये से अधिक

ख) उद्योग का वर्गीकरण:

उद्योगों को किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण सूचकांक 0 से 100 तक की संख्या के प्रदूषण सूचकांक (पीआई) के आधार पर लाल, नारंगी, हरा और श्वेत श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उद्योग पर्यावरण उद्देश्यों के अनुरूप स्थापित किए गए हैं। तदनुसार, पीआई के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार है:

उद्योग का वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	प्रदूषण सूचकांक
1	लाल	60 और उससे अधिक अंक वाले
2	नारंगी	41 से 59 तक अंक वाले
3	हरा	21 से 40 तक अंक वाले
4	श्वेत	20 अंक वाले

यह सहमति केवल लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणी के उद्योगों को ही जारी की जाएगी। लाल, नारंगी और हरे रंग की श्रेणी के उद्योगों के लिए सहमति शुल्क संग्रह क्रमशः 5, 10 और 15 वर्षों की अवधि के लिए होगा, जैसा कि सीपीसीबी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों के वर्गीकरण के दस्तावेज़ में अनुशंसित किया गया है।

ग) औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सहमति शुल्क:

सहमति शुल्क का आकलन केवल पूंजी निवेश और उद्योग के वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। तदनुसार, उद्योग के लिए वार्षिक सहमति शुल्क (सीएफ) का आकलन करने का सूत्र इस प्रकार है:

$$\text{सीएफ} = \text{सीआई} * \text{एसएफ} * \text{पीआईएफ}$$

जहाँ

- सीएफ : वार्षिक सहमति शुल्क (रु./वर्ष में)
 - सीआई : पूंजी निवेश (रु. में)
 - एसएफ : स्केल फैक्टर (सीआई पर आधारित)
 - पीआईएफ : प्रदूषण सूचकांक फैक्टर (श्रेणी पर आधारित)
- पूंजी निवेश स्लैब के अनुसार स्केल फैक्टर है :

पूंजी निवेश	फैक्टर (एसएफ)
1 करोड़ रुपये और उससे कम	0.100%
1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	0.080%
10 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	0.060%
50 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 250 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	0.040%
250 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	0.030%
500 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 1000 करोड़ रुपये से अधिक नहीं	0.020%
1000 करोड़ रुपये से अधिक	0.010%

प्रदूषण सूचकांक फैक्टर (पीआईएफ) निम्न प्रकार हैं:

उद्योग की श्रेणी	फैक्टर (पीआईएफ)
हरा	1.00
नारंगी	1.50
लाल	2.00

इसके अलावा, पिछले स्लैब के अधिकतम शुल्क को अगले स्लैब के मूल शुल्क के रूप में रखने की अनुशंसा की गई है और अंतर राशि पर एसएफ लागू होगा। इसे नीचे बताया गया है:

सहमति शुल्क (सीएफ): पिछले स्लैब का अधिकतम शुल्क + {(सीआई का अंतर)*एसएफ*पीआईएफ}

संबंधित क्षेत्र में पूंजी निवेश के प्रत्येक स्लैब पर न्यूनतम सहमति शुल्क रखने की भी अनुशंसा की गई है, क्योंकि उच्च निवेश पर स्केल फैक्टर कम हो जाता है। तदनुसार, इसके ऊपर न्यूनतम सहमति शुल्क यानी मूल शुल्क 5,000 रुपये प्रति वर्ष और पीआईएफ फैक्टर औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी के अनुसार ऊपर लागू होगा। (हरा: 1, नारंगी: 1.5 और लाल: 2)।

घ) स्थानीय निकायों और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं (आवासीय और अन्य) के लिए सहमति शुल्क:

ईआईए के अंतर्गत आने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं जैसे आवासीय (स्टैंडअलोन अपार्टमेंट/कॉम्प्लेक्स), लेआउट, एकीकृत परियोजनाएं, वाणिज्यिक परिसर, कार्यालय परिसर, शैक्षणिक संस्थान, टाउनशिप और स्थानीय निकाय

जिसमें जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड शामिल हैं, के लिए सीटीई शुल्क औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपनाए गए फार्मूले के अनुसार स्थापना चरण के दौरान पूंजी निवेश के आधार पर लिया जाएगा।

इसके बाद, सीटीओ के लिए सहमति शुल्क सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित करके उत्पन्न और शोधित सीवेज की मात्रा पर आधारित होगा। तदनुसार, सीटीओ के लिए अनुशंसित शुल्क इस प्रकार है:

एसटीपी क्षमता के आधार पर सहमति शुल्क/प्रतिवर्ष

क्र.सं.	उत्पन्न और शोधित सीवेज	स्थानीय निकाय और आवासीय (रु.)	आवासीय के अलावा (रु.)
1	10 केएलडी तक	5,000	7,500
2	10 - 50 केएलडी के बीच	15,000	22,500
3	50 -100 केएलडी के बीच	25,000	37,500
4	100 – 300 केएलडी के बीच	35,000	52,500
5	300 – 500 केएलडी के बीच	55,000	82,500
6	500 – 1 एमएलडी के बीच	65,000	97,500
6	1 से 5 एमएलडी के बीच	75,000	1,12,500
7	5 से 10 एमएलडी के बीच	1,00,000	15,00,00
8	10 एमएलडी से 25 एमएलडी के बीच	2,00,000	30,00,00
9	25 एमएलडी से अधिक	4,00,000	60,00,00

ण) खनन परियोजनाओं के लिए सहमति शुल्क:

खनन गतिविधि के लिए वार्षिक सहमति शुल्क का आकलन खनन किए जाने वाले खनिज की सहमति क्षमता, खनिज के प्रकार, खनन क्षेत्र और खनन के प्रकार के आधार पर लगाया जाता है। तदनुसार, वार्षिक सहमति शुल्क (सीएफ) के आकलन का सूत्र निम्नानुसार है:

$$\text{सीएफ} = \text{सीसी} * \text{एमएफ} * \text{एएफ} * \text{टीएमएफ}$$

जहाँ,

- सीएफ: वार्षिक सहमति शुल्क (रुपये/वर्ष में)
- सीसी: खनिज की सहमति क्षमता (टन/वर्ष में)
- एमएफ: खनिज फैक्टर (खनिज के प्रकार पर आधारित)
- एएफ: खनिज क्षेत्र फैक्टर (खनन क्षेत्र पर आधारित रुपये में)
- टीएमएफ: खनन के प्रकार (खनन के प्रकार पर आधारित)

क्र.सं.	खनिज पदार्थ	एमएफ (रुपये में)	पट्टा क्षेत्र हेक्टेयर में	ए एफ	खनन का प्रकार	टएमएफ
1	मैंगनीज, क्रोमाइट, स्टीटाइट, बैराइट्स, अभ्रक, सोना, यूरेनियम, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता	1	< 5	1	खुली खदान	1.25
2	लोहा, बॉक्साइट, कोयला	0.8	5 - 25	1.2		
3	डोलोमाइट, चूना पत्थर, जिप्सम, फेल्डस्पार, गार्नेट, क्वार्ट्ज, सिलिका स्टेट	0.6	25 - 100	1.4	भूमिगत	1

	स्टोन, बेंटोनाइट, पायरोपाइलाइट, ग्रेफाइट, फॉस्फोराइट, चिकनी मिट्टी - चीनी, ह्वाइट, फायर और बॉल मिट्टी				
4	अन्य खनिज जैसे पत्थर खदान, ग्रेनाइट, संगमरमर, नदी रेत /नदी तल सामग्री आदि।	0.4	100 - 500	1.6	
			> 500	1.7	

इसके अलावा न्यूनतम सहमति शुल्क यानी मूल शुल्क 5,000 रुपये प्रति वर्ष रखने की भी सिफारिश की गई।

च) कॉफी पलिंग गतिविधियों के लिए सहमति शुल्क:

कॉफी पलिंग के लिए वार्षिक सहमति शुल्क, संचालन की क्षमता के बावजूद आर्द्र और शुष्क पलिंग के लिए केवल मूल शुल्क और पलिंग फैक्टर रखने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि यह एक मौसमी उत्पादन है। तदनुसार, पलिंग उद्योग के लिए वार्षिक सहमति शुल्क (सीएफ) के आकलन का सूत्र इस प्रकार है:

$$\text{सीएफ} = \text{बीएफ} * \text{पीएफ}$$

जहाँ,

- सीएफ: वार्षिक सहमति शुल्क (रु./वर्ष में)
- बीएफ: मूल शुल्क (रु. में)
- पीएफ: पलिंग फैक्टर (पलिंग के प्रकार के आधार पर)

तदनुसार, फैक्टर इस प्रकार हैं:

- मूल शुल्क (बीएफ): 2500 रूपए प्रतिवर्ष
- पलिंग कारक (पीएफ) :

क्र.सं.	पलिंग का प्रकार	पीएफ
1	आर्द्र पलिंग	1.25
2	शुष्क पलिंग	1.00

छ) मत्स्यपालन गतिविधियों के लिए सहमति शुल्क:

लीज होल्ड क्षेत्र पर आधारित मत्स्यपालन के लिए वार्षिक सहमति शुल्क और प्रति वर्ष सहमति शुल्क निम्नानुसार है:

क्र.सं.	लीज होल्ड क्षेत्र	सहमति शुल्क)रु/ (.वर्ष
1	5 हेक्टेयर तक	शून्य
2	5 से 25 हेक्टेयर तक	5,000 रूपए
3	25 से 100 हेक्टेयर तक	25,000 रूपए
4	100 हेक्टेयर से अधिक	1,00,000 रूपए

ज) डीजल जनरेटर (डीजी) को वायु प्रदूषण का एकमात्र स्रोत मानने वाले प्रतिष्ठानों के लिए सहमति शुल्क:

वह गतिविधि/प्रतिष्ठान जिसमें डीजल जनरेटर (डीजी) को वायु प्रदूषण का एकमात्र स्रोत माना गया है, के लिए वायु अधिनियम के तहत सहमति शुल्क निम्नानुसार है:

क्र.सं.	डी.जी.सेट की रेटिंग	सहमति शुल्क)रु / (.डी.जी.सेट / वार्षिक
1	≤ 250 KVA	शून्य
2	250 KVA to ≤ 500 KVA	1000 रूपए
3	500 KVA to ≤1MVA	2000 रूपए
4	> 1 MVA	5000 रूपए

झ) सहमति के नवीकरण के लिए छूट और विलंब शुल्क:

जल एवं वायु अधिनियम के तहत 120 दिनों के निर्धारित समय के भीतर सहमति नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर उद्योग को सहमति शुल्क पर 5% की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, देरी से प्रस्तुत करने और सहमति की समाप्ति के लिए क्रमशः विलंब शुल्क लगाने/ बंद करने के निर्देश जारी करने की सिफारिश की जाती है। इसे देखते हुए, उद्योगों द्वारा सहमति नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र अंतिम समय में प्रस्तुत करने से बचने और उद्योग को इस संबंध में अधिक सतर्क रहने के लिए निम्नलिखित विलंब शुल्क लगाने की अनुशंसा की जाती है:

नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अवधि	विलम्ब शुल्क के रूप में अतिरिक्त शुल्क
सहमति की अवधि समाप्त होने के 120दिन पूर्व	न्यूनतम (-) 5%
सहमति की समाप्ति के 120से 45 दिनों के बीच	25%
सहमति की समाप्ति तिथि से 45दिनों के बीच	50%
सहमति की समाप्ति तिथि के बाद	विद्युत आपूर्ति बंद करने के लिए नोटिस देना तथा उसके बाद नवीनीकरण हेतु आवेदन को एक वर्ष के लिए %100अतिरिक्त सहमति शुल्क के साथ नए आवेदन के रूप में माना जाएगा।

ण) उद्योग को प्रोत्साहन:

जल, वायु और भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण संरक्षण उपायों को अपनाने वाले, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण (उत्पादन की प्रति इकाई में संसाधन की खपत) और सर्वोत्तम प्रौद्योगिकियों, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण की रक्षा के लिए एसपीसीबी/पीसीसी के निर्देशों/सहभागिता के बिना स्वैच्छिक पहल, राष्ट्रीय/स्थान विशिष्ट मानकों को निचले स्तर तक लाने की उपलब्धि हासिल करने वाले उद्योगों की पहचान की जाएगी और तदनुसार ग्रीन पुरस्कार, नकद पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा।

ट) सहमति शुल्क में संशोधन:

कई वर्षों से एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति शुल्क में संशोधन नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई है। इसे देखते हुए, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार समय-समय पर जारी किए जाने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)/उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)/आरबीआई लक्ष्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर सहमति शुल्क में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए नीचे दिए गए सूत्र का उपयोग किया जाएगा:

संशोधित सहमति शुल्क = मौजूदा सहमति शुल्क * (शुल्क में 1 + % की वृद्धि)

उपरोक्त सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार सहमति शुल्क में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने की अनुशंसा की गई है।

ठ) ईपीए के विभिन्न नियमों के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करना:

वे गतिविधियाँ जो जल एवं वायु अधिनियमों के अंतर्गत नहीं आती हैं, लेकिन उन्हें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत अधिसूचित विभिन्न नियमों के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक है, एसपीसीबी/पीसीसी उन्हें 5 वर्षों के लिए प्राधिकार जारी करने पर विचार कर सकते हैं और प्राधिकार जारी करने के लिए "प्रशासनिक शुल्क" के

रूप में 10,000/प्राधिकार वसूलने की अनुशंसा कर सकते हैं। इस शुल्क को वसूलने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसे अधिसूचित किया जा सकता है क्योंकि ईपीए के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अंतर्गत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

एसपीसीबी/पीसीसी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित विभिन्न नियमों के तहत आवश्यकतानुसार प्राधिकार के साथ समेकित सहमति (जल और वायु) जारी कर सकते हैं। इसके अलावा, जहां सीटीओ के साथ प्राधिकार जारी करना आवश्यक है, वहां आकलित सहमति शुल्क में 1.1 का फैक्टर जोड़ने की अनुशंसा की गई है।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 2024

G.S.R. 423(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by section 21A of Air Act and section 27A of Water Act for bringing out regulations for issuing guidelines with regard to consent to operate and consent to Establish is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which the draft notification is published in the Gazette of India;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi-110003 or electronically at email address: mishra.vp@gov.in or prasoon.tripathi76@gov.in

DRAFT NOTIFICATION

Whereas, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 were amended with a view to Streamline Consent Mechanism by issuing guidelines;

And whereas, the Ministry consulted the Central Pollution Control Board (CPCB) to prepare such guidelines;

And whereas, this notification is intended not only to enhance ease of doing business, minimizing compliance burden of Industries, but also to reduce duplication in the work at the State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committee (PCC) level;

And whereas, due care has been taken, while preparing this notification, that appropriate monitoring and compliance of pollution is ensured.

Now therefore, in exercise of powers conferred under Section 21A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, and section 27A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Central Government, hereby notifies the Guidelines relating to Consent fee and Grant, Refusal or Cancellation of Consent to Establish & Consent to Operate:

Guidelines relating to the Uniform Consent fee and Grant, Refusal or Cancellation of Consent to Establish or Consent to Operate

CONTENTS

Chapter	Description	Page
1.0	Guidelines for Uniform Consent Fee across SPCB / PCC	2
2.0	Guidelines relating to grant, refusal or cancellation of consent	3
2.1	Guidelines for Grant of Consent to Establish	3
2.2	Guidelines for Grant of Consent to Operate & its Renewal	4
2.3	Guidelines for Refusal and Cancellation of Consent	6

Chapter	Description	Page
3.0	Timeline for processing of consent applications	7
4.0	Portal for implementation of these guidelines	8
5.0	Monitoring Committees	8
Annex I	Model Template for Common Consent & Authorization	9
Annex II	Model Template for Endorsement for White Category Industry	18
Appendix	Uniform Consent Fee Mechanism	19

1.0 GUIDELINES FOR UNIFORM CONSENT FEE ACROSS SPCB / PCC

The guidelines for rationalized / uniform consent fee across the State Pollution Control Boards (SPCBs) / Pollution Control Committees (PCCs) under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (as amended to date), Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended to date) and Authorization under various Environmental Protection Rules, 1986 (as amended to date) are as follows:

1.1 Capital Investment

- The investment made on fixed assets i.e. Land, Buildings including Staff Quarters, Guest Houses, etc. within industrial premises (or) townships, plants and machinery or equipment including the cost of investment on Pollution Control without depreciation.
- In the case of an industry operating on lease land and / or building or any other assets, ten (10) times the annual lease value is to be taken as equivalent to Capital Investment (or) Guidance Value of property / land, whichever is higher.

1.2 Validity period of Consent to Establish & its Consent fee

- The validity period of Consent to Establish (CTE) shall be as per the Environment Clearance (EC) issued by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) / State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) in case of a project attracting prior Environment Clearance.
- In case the project / activity does not attract EC, then CTE shall be given for a minimum of five (05) years period initially and may be further extended by a maximum period of two (02) years on request of the project proponent, thereby making the outer limit for validity seven (07) years from the issue of CTE.
- The consent fee for CTE shall be twice the Annual Consent fee under the Water Act and / or Air Act, as applicable to the project activities for the entire period of establishment of the project.

1.3 Estimation of Consent fee for various activities

The capital investment slabs, categorization of industry, consent fee for industrial sectors, local bodies, mining projects, coffee pulping, aqua culture and Diesel Generator (DG) set as single air pollution source, rebate & late fee for renewal of consent, incentives to the industry, revision of consent fee and authorization fee, are given as **Appendix**.

1.4 Higher Consent fee by SPCBs / PCCs

SPCBs / PCCs may decide the quantum of consent fee which may be maximum up to 20% higher than the estimated consent fee based on the methodology suggested in this guideline, taking into account local environmental issues and local conditions. However, SPCBs / PCCs can charge any consent fee lower than that.

1.5 Common Consent and Authorization Form

SPCBs / PCCs shall adopt a single-step procedure for issuing Common Consent and Authorization (CC&A) under the Water Act, the Air Act and Authorization under the EPA Rules. Accordingly, a model template for Common Consent and Authorization form is given at **Annexure I**.

2.0 GUIDELINES RELATING TO GRANT, REFUSAL OR CANCELLATION OF CONSENT :

2.1 Guidelines for grant of Consent to Establish (CTE)

- Information related to the CTE application (common consent form) shall be filled up by the applicant with prerequisite information / documents as per the procedures specified.

(b) Adequate fees prescribed for obtaining CTE shall be paid along with the application online / offline as per the rates prescribed by the State Government / UT.

(c) Siting Criteria:

- i. The industrial establishment shall comply with the sector-specific siting criteria of the Central / State / UT as applicable, orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) / Courts, and Guidelines issued in compliance with such orders / rules issued by MoEF&CC / CPCB / SPCB / PCC.
- ii. In case of non-availability of sector specific siting criteria, the General Guidelines framed by the respective State / UT shall be followed, otherwise, the following criteria (minimum distance) shall be maintained
 - a) From the nearest boundary of surface water body (flood plain/ HFL / Red line) as per the revenue sketch:
 - Red Category : Beyond 500 meters
 - Orange Category :
 - ✓ With effluent generation : Beyond 75 meters
 - ✓ Without effluent generation : Beyond 30 meters
 - Green Category : Beyond 30 meters
 - b) From the Settlement, Educational Institute, Worship place, Archaeological Monuments, National Park, Reserve Forest, Heritage site, interstate boundary shall be maintained:
 - Red Category : Beyond 500 meters
 - Orange Category : Beyond 250 meters
 - Green Category : Beyond 100 meters

(Having noise/vibration generating machineries)

Note: *Other than the above criteria, the respective SPCB /PCC shall follow the distance from the water bodies / above-mentioned places, as per their existing rules / norms if any specified by the concerned departments of State Governments / UT or Central Govt. Department.*

- iii. The above distance criteria shall not be applicable to Special Economic Zones / Doon Valley / Dhanuka / Taj-Trapezium, Aravalli Range, etc. where it shall be governed as per provisions laid down under the respective notification.
- iv. No industry will be allowed to set up in non-conforming areas or restricted / prohibited areas pertaining to Eco-Sensitive Areas, Wetland areas, etc. as notified under Coastal Regulation Zone (CRZ) Regulations, Wet Land Rules, other notifications notified under the Environment (Protection) Act, 1986 or other laws / rules / notifications issued therein from time to time.
- v. Applicability of other prevalent laws, rules, and regulations, as applicable shall be verified and complied with.
- vi. The natural / storm drain passing through any proposed site shall not be disturbed.
- vii. The applicability of EC as per the provisions of Environmental Impact Assessment (EIA) Notification 2006, as amended from time to time, shall be verified and complied with.

(d) **Site verification:**

- i. The respective officer of SPCB / PCC, as per the delegation of power, shall conduct inspection of the proposed site and verify the suitability of the site for establishing proposed activity with respect to present environmental conditions of location, human habitation, historical monument, and sensitive area, if any.
- ii. Inspection may also be carried out to capture surrounding environmental settings, and verification of information submitted in the application / proposals. Accordingly, the detailed observations report will be submitted to the designated officer of the Board / Committee for taking decision.
- iii. The reasons for violations / non compliances are to be recorded in writing and communicated to the industry by the inspecting officer.

- (e) **Grant of CTE:** Based on the verification report and recommendations of the designated officer / consent committee, CTE shall be issued to the unit under Section 25 / 26 of the Water Act and under Section 21 of the Air Act, along with general conditions and specific conditions, as applicable based on the proposed activities and site location.
- (f) **17 categories of Highly Polluting Industries** i.e. Pulp & Paper, Distillery, Sugar, Tanneries, Power Plants, Iron & Steel, Cement, Oil Refineries, Fertilizer, Chloral Alkali Plants, Dye & Dye Intermediate Units, Pesticides, Zinc, Copper, Aluminum, Petrochemicals, and Pharma Sector, and Common Effluent Treatment Plants (CETP), Sewage Treatment Plants (STPs), Common Bio-Medical Waste and Common Hazardous Waste Incinerators will have to install Online Continuous Effluent Quality and Emission Monitoring Systems (OCEMS).
- (g) **White Category:** These are exempt from CTE/CTO procedure. However, One-time endorsement shall be issued to the White Category Industries based on self-declaration, as per the procedure laid down. A model template for endorsement is given in **Annexure II**.

Note: *The industry shall also obtain CTE in case of expansion / modernization / change of products or processes from the respective SPCB /PCC before commissioning.*

2.2 Guidelines for Grant of Consent to Operate & its Renewal

Once the industry or process plant is established with the requisite pollution control systems and ready to operate, the occupier is required to obtain Consent to Operate. Accordingly, the guidelines for Grant of Consent to Operate & its Renewal under the Water Act and Air Act are as follows:

2.2.1 Consent to Operate (CTO):

The following procedure shall be followed for issue of CTO:

- a. Information related to the CTO application (common consent form) shall be filled up by the applicant with prerequisite information / documents.
- b. Adequate fees along with penalty / late fee, if any prescribed for obtaining CTO shall be paid as per the rates prescribed by the SPCB / PCC.
- c. Compliance with the conditions stipulated in CTE issued by the SPCB / PCC shall be submitted along with the self-regulation mechanism Online Continuous Effluent Monitoring System (OCEMS) implemented by the occupier, as applicable.
- d. Compliance with the conditions stipulated in EC as applicable and issued by the concerned authorities shall be submitted.
- e. **Verification :**
 - i. The respective officer of SPCB / PCC, as per delegation of power, shall inspect and verify the industry w.r.t. compliance of CTE and installations of various plants & machineries, pollution control devices, waste management facilities and other infrastructures required to ensure compliance of stipulated discharge / emission / waste management norms, OCEMS, etc.
 - ii. The detailed report of compliance of monitoring with CTE conditions / EC conditions will be submitted to the designated officer of the SPCB / PCC for taking a decision. The reasons of violations / non-compliances are to be recorded in writing to the industry by the inspecting officer.

f. Issue of CTO :

- i. Based on the inspection report and recommendations of the designated officer / consent committee, CTO shall be issued to the Unit under Section 25 & 26 of the Water Act and under Section 21 of the Air Act.
- ii. The CTO will contain general conditions and relevant specific conditions in view of variation in process, operations, effluent disposal, environment standards, guidelines, siting criteria, court directions, notification, etc. taking into account required pollution control measures and safeguard of environment for respective industrial sector and area.
- g. CTO shall be issued to the Unit under Section 25/26 of the Water Act and under Section 21 of the Air Act, for a specific period based on the category of industry, as decided from time to time.
- h. The frequency of compliance monitoring and sampling of the Red, Orange and Green category industry shall be half yearly, annually, and once in two (02) years respectively by the SPCBs / PCCs.

2.2.2 Consent for Renewal:

The following procedure shall be followed for renewal of CTO:

- a. Compliance status to the conditions stipulated in previous CTO / Conditions of Bank Guarantee (if any) / Directions (if any) issued by CPCB / respective SPCB / PCC for time-bound compliance shall be observed.
- b. Submission of Environmental Statement (Form V) as per Environment (Protection) Rules, 1986 and Annual Returns (Form- 4) as per the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 shall be ensured.
- c. Declaration on no Change in the Manufacturing Process, Production capacity Pollution Load, Quantity, and mode of discharge of effluent and emissions shall be obtained and ensured.
- d. The respective officer of SPCB / PCC, as per delegation of power, shall verify the industry w.r.t. compliance of CTO conditions which includes verification of relevant records on water consumption and waste water management, operation of Effluent Treatment Plants (ETP) / Air Pollution Control Devices (APCD), Records of generation and disposal of hazardous wastes, functioning of OCEMS and its data logging, record of exceedance of stipulated standards of source emission and effluent discharge, addressing Public / VIP complaints etc. and submit the detailed observations report to the designated officer of the Board / Committee for taking decision.
- e. In case of non-compliance of effluent and emission discharge norms as per the compliance monitoring and sampling carried out, the details of pollutants / emissions (chemical reaction / material balance), design and operating conditions of ETPs and APCDs / System to be verified by the respective officer and upgradation / modification of environmental management systems required to be incorporated while renewing consent to meet the norms prescribed.
- f. The reasons for violations / non-compliances to be recorded. The inspection report shall record, the observations of the compliance monitoring, findings of the records and his / her view on the compliance of consent conditions. Based on the inspection report, the decision-making authority will initiate appropriate action as contemplated in the statute.
- g. CTO will be renewed to the Unit under Section 25/26 of the Water Act and under Section 21 of the Air Act, for a specific period based on the category of industry, as decided from time to time.
- h. In order to minimize inspection of industries, the frequency of compliance monitoring and sampling of the Red, Orange and Green category industry shall be half yearly, annually, and once in two (02) years respectively by the SPCBs / PCCs.

2.3 Guidelines for Refusal and Cancellation of Consent

Refusal or Cancellation / Withdrawal of consent (before the expiry of the period for which it is granted or refusing further consent after such expiry) is done as per Section 27 of the Water Act and Section 21 of the Air Act, for non-compliance with consent conditions imposed by the SPCB / PCC. The refusal of consent may be effected /considered for the following reasons:

- a) Violation of siting criteria, the industry does not satisfy the sitting criteria of the Central / State in the case of CTE.
- b) Non-compliance of Consent and EC conditions.
- c) Variation in their process and its operations.
- d) Not meeting the effluent disposal / emission standards and failure to upgrade the ETP / APCDs / Fugitive Emission Control Systems or any other prescribed equipment.
- e) Non-compliance of Court directions, Guidelines, and Notifications and Standard Operating Procedures (SOPs)
- f) Accidental discharges of effluent / emission causing grave injury to the environment and human health.
- g) Occurrence of accident resulting in damage to the existing ETP / APCD systems.
- h) Non-payment of requisite consent fee, Environmental Compensation / Late fee / Bank Guarantee imposed by the CPCB and respective SPCB / PCC.
- i) Industries proposed in the ban areas notified by the Central / State Government.
- j) Submission of incomplete information or false information or concealment of any material facts pertaining to the proposed plant.

k) Violation of any prevailing rules/regulations.

No application for grant of consent will be refused without giving an opportunity of being heard and the reasons for refusal recorded in writing and duly communicated to the applicant with necessary directions, as deemed fit.

3.0 TIMELINE FOR PROCESSING OF CONSENT APPLICATIONS:

- 3.1 The Water Act and the Air Act provide for obtaining Consent to Establish / Operate by Activities / Industries. Subject to the provisions of the amended Air and Water Act, the timeline for issuing consents will be governed by this para.
- 3.2 The maximum time limit for processing of the applications received from the date of receipt in all respects for issue of consent to establish, consent to operate, renewal of consent, consent for expansion activity, amendment, extension of consent by the SPCB/PCC will be as follows:

Timeline for issue of Consent

S. No.	Application	Time Line (Days)*		
		Red [#]	Orange [#]	Green [#]
1.	Grant / Refusal of Consent to Establish	60	45	30
2.	Grant / Refusal of 1 st Consent to Operate	90	60	30
3.	Grant / Refusal of Renewal of Consent / Expansion / Amendment	120	60	30

* From the date of receipt of the application complete in all respects.

As categorized by CPCB from time to time.

- 3.3 The consent shall be granted or refused within the timeline specified as above.
- 3.4 In case, SPCB / PCC fails to grant or refuse the consent within the above timeline, the application will be presented to the State Level Monitoring Committee (SLMC) referred in para 5.2 below. This Committee shall dispose of the application within 30 days of such presentation, or the overall limit provided in the Air and Water Acts, whichever is earlier. The Member Secretary of the concerned SPCB / PCC will present the case before the Committee.
- 3.5 While deciding on such application, the committee will also look into causes of delay in grant / refusal of the consent by SPCB / PCC. If it is found that the reasons of delay are not justified, the Committee may recommend appropriate disciplinary action against the responsible officer(s) of the SPCB / PCC. The Committee may also recommend presenting the case for contravention of the Air / Water Act before concerned adjudicating officer under Section 48 (2) of the Water Act and Section 38 A (2) of the Air Act, as amended.
- 3.6 The decision of the Committee shall be binding on the concerned SPCB / PCC. The Committee will have at least one meeting in a month's period.
- 3.7 The above committee will also monitor the SPCBs / PCCs with regard to adherence of these guidelines and take appropriate action wherever required.
- 3.8 Any policies framed by SPCBs / PCCs regarding consent mechanisms will be subject to these guidelines.

4.0. Portal for implementation of these guidelines:

- 4.1. CPCB, in consultation with SPCBs / PCCs, develop an online portal for implementation of these guidelines, preferably within six (06) months, and not later than one (01) year from the date of this notification.
- 4.2 The portal will be exclusive interface between all the stakeholders and will be used for grant, refusal and withdrawal of CTE / CTO under the Water Act and Air Act, monitoring the process and by SLMC for disposal of cases presented before them.
- 4.3 The portal shall act as single point data repository with respect to management and implementation of these guidelines.
- 4.4 Unless otherwise provided, all the procedures and processes pertaining to CTE / CTO in respect of the Air and Water Act will be done through this portal only, in all the States / UTs. However, until the portal becomes operational, the alternative mode may be used for processing the applications for CTE / CTO.

5.0 Monitoring Committees:

- 5.1 There will be a Monitoring Committee at the National Level to oversee and monitor the implementation of these guidelines and remove any difficulties in this regard. The Committee will consist of following Members:
- Joint/ Additional Secretary, CP Division, MoEFCC - Chairman
 - Member Secretary, CPCB - Member
 - Member Secretaries of any three (03) SPCBs / PCCs by rotation for three (03) years, nominated by MoEFCC - Member
- 5.2 There will also be a State Level Monitoring Committee to oversee the implementation of these guidelines and also to dispose of the matters presented to it under para 3.4 above. The committee will consist of following Members:
- Secretary in-charge, Dept. of Environment of State / UT - Chairman
 - Member Secretary of concerned SPCB/PCC - Member
 - Regional Director, CPCB of the jurisdiction - Member

[F. No. F No. Q-15012/1/2022-CPW]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Annexure I**MODEL TEMPLATE FOR COMMON CONSENT & AUTHORIZATION**

Application for Common Consent and Authorization (CCA) for establishment of the industry operation process or any treatment disposal system for discharge or continuation of discharge under Section 25 or Section 26 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974; Consent for emission / continuation of emission under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and Authorization under Hazardous And Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016

From

To

The Member Secretary
 _____ State Pollution Control Board / Committee

Sir,

I / We hereby apply for -----:

- Consent / Renewal of Consent under Sections 25 and 26 of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 (Central Act 6 of 1974), as amended for establishing / operating or taking any steps for establishment / operation of industry / operation process, or ally treatment and disposal system to bring into use any new /altered outlet for discharge or continuation of discharge of sewage / trade effluent;
- Consent / Renewal of Consent under Section 21 of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, (Central Act 14 of 1981) and as amended for establishing /operating industry, operation or process, or treatment and emission or continuation of emission of air pollutants;

3. Grant / Renewal of Authorization under Section 6 (1) of the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and as amended, for generation or collection or storage or transport or reception or recycling or reuse or recovery or pre-processing or co-processing or utilization or treatment or disposal of hazardous and other wastes

from a land / premises owned by M/s. _____ at location- _____ as per the details given below:

TO BE FILLED IN BY THE APPLICANT

PART A: GENERAL

S. No.	Required Details	:																						
1.0	Project Details :																							
1.1	Name of the Project / Industry / TSDf	:																						
1.2	Project Proposal	:	New / Expansion / Renewal / Validity Extension / Transfer																					
1.3	Details of Environment Clearance	:																						
1.4	Address of the Site / Unit	:	<table border="1"> <tr> <td>Plot / Survey No</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Village</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tehsil</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>District</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>State/UT</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pin code</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	Plot / Survey No	:		Village	:		Tehsil	:		District	:		State/UT	:		Pin code	:				
Plot / Survey No	:																							
Village	:																							
Tehsil	:																							
District	:																							
State/UT	:																							
Pin code	:																							
2.0	Applicant / Occupier Details :																							
2.1	Name of the Applicant / Occupier	:																						
2.2	Designation	:																						
2.3	Nationality of the Occupier	:																						
2.4	Correspondence Address	:	<table border="1"> <tr> <td>Plot / Survey No/ Street Name</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Village / Town / City</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tehsil / Taluk</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>District</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>State / UT</td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pin code</td> <td>:</td> <td></td> </tr> </table>	Plot / Survey No/ Street Name	:		Village / Town / City	:		Tehsil / Taluk	:		District	:		State / UT	:		Pin code	:				
Plot / Survey No/ Street Name	:																							
Village / Town / City	:																							
Tehsil / Taluk	:																							
District	:																							
State / UT	:																							
Pin code	:																							
2.5	Contact Details of Plant Head with Alternate details	:	<table border="1"> <tr> <td>Name & Designation:</td> <td>:</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>e-mail address</td> <td>:</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>Landline Number</td> <td>:</td> <td>1.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td>2.</td> </tr> <tr> <td>Mobile Number</td> <td>:</td> <td>1,</td> </tr> </table>	Name & Designation:	:	1.		:	2.	e-mail address	:	1.		:	2.	Landline Number	:	1.		:	2.	Mobile Number	:	1,
Name & Designation:	:	1.																						
	:	2.																						
e-mail address	:	1.																						
	:	2.																						
Landline Number	:	1.																						
	:	2.																						
Mobile Number	:	1,																						

					2.
3.0	Legal Status of the Company :				
3.1	Individual / Proprietary concern / Partnership firm/ Joint family concern / Private Limited Company / Public Limited Company / Foreign Company / Limited Liability Partnership. <i>Note: Registration Number and Authority shall be mentioned.</i>	:			
3.2	Central Govt. / State Govt./ Central PSU / State PSU / Joint Venture (Pvt. + Govt.), (Govt.+ Govt.), (Pvt.+ Pvt.)	:			
4.0	Location of the Project / Industry / Activity :				
4.1	Location	:	Upload KML		
4.2	Bounded Latitudes (North) (8 digit after decimal)	:	From	:	
			To	:	
4.3	Bounded Longitudes (East) (8 digit after decimal)	:	From	:	
			To	:	
4.4	Located in Eco-Sensitive Zone of Protected Area, Coastal Regulation Zone, Biosphere, Reservoir, Forests, Mangroves, Rivers, Archeological monuments, Critically Polluted Area, Non-attainment Cities, Polluted River Stretch, Hill stations (altitude > 600 M), Major towns and Cities	:			
4.4	Survey of India Topo Sheet Number	:			
4.5	Land details (as per Panchayat, Tehsil, District)	:	Owned / Leased	:	
			Total Area in Ha	:	
			a) Non – Forest in Ha	:	
			b) Forest in Ha	:	
			Annual Lease Value, in case of Leased in Rs.	:	
			Build up Area in Sq. M.	:	
			Green Belt cover in % of total area	:	
4.6	Extent of Land in Sq. m	:	Own-Agricultural	:	
			Industrial	:	
			Converted	:	
			Industrial Area	:	
			c) Applied and not allotted	:	
			d) Applied and allotted	:	
			e) Leased	:	

5.0		Category & Classification of the Project / Industry / Activity :	
5.1	Category of Industry (Red, Orange, and Green)	:	Category
		:	Pollution Index
5.2	Industrial Sector /Type	:	
5.3	Grossly Polluting / 17 Category / Others	:	
5.4	Scale of Industry based on Capital Investment (Micro/ Small / Medium / Large)	:	Total Capital Investment (Rs.)
		:	Scale / Classification
5.5	Products / By-Products manufacturing capacity (TPD/ TPA)	:	Products / By-products
		:	Capacity
		:	
		:	
5.6	Raw Materials / Chemicals Consumption for manufacturing capacity (TPD & TPA)	:	Raw Materials
		:	Consumption
		:	
		:	
5.7	Brief manufacturing Process with process flow chart and Material Balance, Advantage of Technology, etc.	:	To be Annexed
5.8	Date / Expected date of commencement of production	:	
5.9	Number of people to be employed / employed	:	
5.10	Industry Shifts / Weekly off	:	Shits (I / II / III) & in Hours
		:	Weekly off in days
5.11	Use of Hazardous Chemicals as per MSIHC Rules	:	S. No
		:	Chemicals
		:	HS Code
		:	Storage capacity
:		Daily consumption	
:	1.		
:	2.		
:	3.		

PART B: WASTEWATER ASPECTS

6.0		Water Consumption and Wastewater Generation	
6.1	Source of Water	:	Ground Water / River / Industrial Estate Supply / Private Tanker / Sea / Recycled / Any other, if any
6.2	Authority Granting permission & Quantity permitted	:	Authority: Quantity :
6.3	Water Consumption (KLD) for manufacturing capacity	:	
6.4	Water Usage for manufacturing capacity.	:	Purpose
		:	KLD

	(Attach Water Balance showing quantity with TDS at different points)		Domestic	:		
			Process	:		
			Boiler	:		
			Other Utilities (pl. specify)	:		
6.5	Wastewater Generation (KLD) for the manufacturing process	:	KLD			
	Wastewater from various sources	:	Purpose	:	KLD	
			Domestic	:		
			Process	:		
			Boiler	:		
			Other Utilities (pl. specify)	:		
6.6	Wastewater Treatment systems	:	Type of Effluent	:	KLD	Treatment System
			Bio-degradable	:		
			Non- Biodegradable	:		
			Boiler blowdown	:		
			Others Utilities	:		
			Any other	:		
			Total	:		
6.7	Details Sewage Treatment Plant(s)	:	S. No.	Capacity of STPs	:	KLD
			1.			
			2.			
	Mode of disposal of treated effluent	:				
6.8	Details Effluent Treatment Plant (s)	:	S. No.	Capacity of ETPs	:	KLD
			1.			
			2.			
	Mode of disposal of treated effluent	:				
6.9	Capacity of treated effluent sump, Guard Pond, if any	:				
6.10	Schematic diagram of the treatment scheme with inlet / outlet characteristics of each unit operation / process	:	To be Annexed			
6.11	Quality of Effluent before & after treatment (at the final outlets) in respect to pH, SS, TDS and constituting major ions, BOD/COD, Oil & Grease, and relevant metals and nutrients as per the process/ standards. (Attach analysis report of untreated and treated effluent from the EPA recognized Lab) Note: For the proposed unit furnish the expected characteristics of the effluent	:	To be Annexed.			

6.12	Name of River / Creek, Estuary / Drain (owner of sewer) / Sea / Land / connected to CETP	:	
6.13	Details of Solid Wastes separately for 'Hazardous' and 'Other' wastes covered under H&OW Rules, 2016 and other solid wastes not covered under H&OW Rules, 2016, including their management system	:	To be Annexed
6.14	Details of treatment-performance and environmental-compliance monitoring and reporting system	:	To be Annexed
6.15	Any relevant information not covered in the above items	:	

PART C: AIR EMISSION ASPECTS

(Information required in case of industrial establishments having chimneys)

7.0		Type of Fuels						
7.1	Fuel Consumption per Hour and TPD for manufacturing capacity	:	S. No	Fuel	Quantity	Ash%	S%	
			1.	Coal				
			2.	Diesel				
			3.	Furnace Oil				
			4.	Natural Gas				
			5.	Wood				
			6.	Others, if any				
7.2	Details of Stack (Process, fuel, D.G): a) Number of stacks and vents with height and dia (m) b) Quality and quantity of stack emissions from each stack and vent c) Major industrial processes / sources of fugitive emission d) A Brief account of air pollution control units to deal with the emission							
	Stack	Attached to	Fuel	Height (m)	Diameter (m)	Pollutants	Control system	Port Hole & Platform
7.3	D.G. Sets	:	S. No.	KVA	Acoustic status	Height (m)		
7.4	Quality of source emission (before treatment/ control) and after treatment/ controlled emission (at stacks/vents) in respect of PM, SO ₂ ,	:	To be Annexed					

	NO _x , and other relevant air pollutants as per the process/standards (Attach analysis reports of stack emissions from the EPA recognized Lab) <i>Note: For the proposed unit furnish the expected characteristics of the emissions</i>		
7.5	Odorous compounds, if any and, control measures provided	:	
7.6	Details of treatment/control-performance and environmental-compliance monitoring and reporting system	:	
7.7	Any relevant information not covered in the above items	:	

PART D: HAZARDOUS WASTE ASPECTS*(Information required in case of industrial establishments generating Hazardous Waste)*

8.0		Hazardous Waste Management				
8.1	Process generating Hazardous waste	:	S. No.	Process	Clause of Schedule I	Quantity/Annum
8.2	Authorization required for	:	S. No.	Activity	:	Please tick
			1.	Generation	:	
			2.	Collection	:	
			3.	Storage	:	
			4.	Transportation	:	
			5.	Reception	:	
			6.	Reuse	:	
			7.	Recycling	:	
			8.	Recovery	:	
			9.	Pre-processing	:	
			10.	Co-processing	:	
			11.	Utilization	:	
			12.	Treatment	:	
			13.	Disposal	:	
			14.	Incineration	:	

8.3	Technical Capabilities / Facilities	:	S. No.	Capabilities	:	
			1.	Storage Area	:	
			2.	Storage Quantity	:	
			3.	Method of storage	:	
			4.	Special handling requirement, if any	:	
			5.	Emergency Response Procedure	:	
			6.	Leachate treatment	:	
8.4	Nature (Characteristics of wastes) and quantity of waste	:	a) Handled per annum: b) Stored at any time:			
8.4	Mode of Management / Disposal of above Wastes	:	S. No.	Disposal	:	Please tick
			1.	Secured storage within the industrial unit	:	
			2.	Utilization within the plants (if not, please provide details of utilization)	:	
			3.	Common TSDF	:	
				Within the State	:	
	Outside the State	:				
4.	Others	:				
8.5	Arrangement for transportation of H.W. to actual users / TSDF	:				
8.6	Details of the environmental safeguards and environmental facilities provided for safe handling of all the wastes at point (c) above;	:				
8.7	Hazardous and other wastes generated as per these rules from the storage of hazardous chemicals as defined under the Manufacture, Storage, and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.	:				
8.8	For Treatment, storage and disposal facility (TSDF) operators	:	1. Please provide details of the facility including: a) Location of the site with a layout map b) Safe storage of the waste and storage capacity c) Treatment processes and their capacities d) Secured landfills e) Incineration, if any f) Leachate collection and treatment system g) Firefighting systems h) Environmental management plan including monitoring and i) Arrangement for transportation of waste from generators. 2. Please provide details of any other activities undertaken at the TSDF site:			

	Note:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. In case of renewal of authorization previous authorization numbers and dates and provide copies of annual returns of the last three years including the compliance reports with respect to the conditions of Prior Environmental Clearance, wherever applicable. 2. Provide a copy of the Emergency Response Plan (ERP) which should address procedures for dealing with emergency situations (viz. Spillage or release or fire) as specified in the guidelines of CPCB. Such ERP shall comprise the following, but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Containing and controlling incidents so as to minimise the effects and to limit danger to the persons, environment and property; ➤ Implementing the measures necessary to protect persons and the environment; ➤ Description of the actions which should be taken to control the conditions at events and to limit their consequences, including a description of the safety equipment and resources available; ➤ Arrangements for training staff in the duties which they are expected to perform; ➤ Arrangements for informing concerned authorities and emergency services; and ➤ Arrangements for providing assistance with off-site mitigatory action. 3. Provide undertaking or declaration to comply with all provisions including the scope of submitting bank guarantee in the event of spillage, leakage, or fire while handling the hazardous and other waste 	
8.9	For Recyclers or pre-processors or co-processors or users of hazardous or other wastes	: a) Nature and quantity of different wastes received per annum from domestic sources or imported or both b) Installed capacity as per registration issued by the District Industries Centre or any other authorized Government agency. c) Provide details of secured storage of wastes including the storage capacity. d) Process description including process flow sheet indicating equipment details, inputs and outputs (input wastes, chemicals, products, by-products, waste generated, emissions, waste water, etc.). e) Provide details of end users of products or by-products. f) Provide details of pollution control systems such as Effluent Treatment Plants, scrubbers, etc. including the mode of disposal of waste g) Provide details of occupational health and safety measures: h) Has the facility been set up as per Central Pollution Control Board guidelines? If yes, provide a report on the compliance with the guidelines. i) Arrangements for transportation of waste to the facility:
8.10	Any relevant information not covered in the above items	:

PART E: PAYMENT DETAILS

9.0	Payment Details	
9.1	Payment Mode	: Online / Offline
9.2	Transaction Details in case of online	: Transaction No: Date: Status:

9.3	Draft details in case of offline	:	Amount (Rs): Draft No: In favour of: Bank Name: Date:
9.4	Consent and Authorization Fee break-up	:	1. Consent Fee under the Water Act: 2. Consent Fee under the Air Act: 3. Authorization Fee under HW Rules:

DECLARATION

- a) I / We declare that the above furnished information is true and correct to the best of my / our knowledge. I / We am/are aware that furnishing any wrong information is punishable under Section 42(f) of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 and Section 38(f) of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981.
- b) I / We hereby submit that in case of any change from what is stated in this application in respect of raw materials, products, processes of manufacture and treatment and/or disposal of effluent, emission, hazardous wastes, etc. in quality and quantity; a fresh application for Consent / Authorization shall be made and until the grant of fresh Consent / Authorization is granted, no change shall be made. I/ We am/are aware that the violations of Section 25 of the Water Act, Section 21 of the Air Act attracts penal provisions under the relevant provisions of the Water and Air Act.
- c) I / We herewith submit an affidavit on the basis of which consent for the establishment will be issued to me/us and I/ We will be held responsible under Section 45 (A) of Water Act and / or Section 39 of the Air Act for any misleading / wrong representation.
- d) I / We undertake to furnish any other information within one month of its being called by the Board / Committee

Date:

Name & Signature of the Occupier/

Place:

Authorized Signatory

Enclosures: As above

Note: The section 6.11, 6.13, 6.14, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, and 8.9 are not applicable in the case of Consent to Establish for the industry.

Annexure II

MODEL TEMPLATE FOR ENDORSEMENT FOR WHITE CATEGORY INDUSTRY

To

Subject: Request for issue of endorsement for grant of exemption from Consent Mechanism under Water Act, 1974 & Air Act 1981 - reg.

Ref.:

1. Directions issued by CPCB under Section 18(1) (b) of the Water Act & Air Act
2. SPCB / PCC Notification No _____ dated _____ on re-categorization
3. Provisions of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023
4. Your letter dated _____

Sir,

The _____ State Pollution Control Board (SPCB) / Pollution Control Committee (PCC) in receipt of your intimation / undertaking dated _____ for _____ activity for the issue of endorsement regarding exemption of your industry / activity from Consent mechanism under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air ((Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

The documents, undertaking and affidavit, and the production process flow sheet submitted by you have been examined and noted that you are engaged / propose to engage in the production of and as such your activity proposed / followed has been categorized under the White Category and exempted from the purview of consent.

In view of the facts stated above, M/s _____ located _____ is not required to apply for and obtain CTE/CTO of the Board / Committee under the provisions of the Water Act and the Air Act, as long as there is no change in the activity proposed / prevailing activity being indicated above.

Date:

Place:

(Authorized Signatory)

Note: This endorsement is subject to random verification by CPCB/SPCB/PCC

Appendix

UNIFORM CONSENT FEE MECHANISM

a) Capital Investment Slabs:

The Capital Investment is considered for the estimation of the consent fee; accordingly, the suggested slabs are as follows:

- a) Rs. 1 Crore and below
- b) Exceeding Rs. 1 Crore but not exceeding Rs.10 Crore
- c) Exceeding Rs. 10 Crore but not exceeding Rs.50 Crore
- d) Exceeding Rs. 50 Crore but not exceeding Rs.250 Crore
- e) Exceeding Rs. 250 Crore but not exceeding Rs.500 Crore
- f) Exceeding Rs. 500 Crore but not exceeding Rs.1000 Crore
- g) Exceeding Rs. 1000 Crore

b) Categorization of industry:

The industries are categorised Red, Orange, Green, and White based on the Pollution Index (PI) of any industrial sector is a number from 0 to 100 to ensure that the industry is established in a manner which is consistent with the environmental objectives. Accordingly, the categorization based on PI as follows:

Categorization of Industry

S. No.	Categorization	Pollution Index
1	Red	Score of 60 and above
2	Orange	Score of 41 to 59
3	Green	Score of 21 to 40
4	White	Score including & up to 20

The consent shall be issued to the Red, Orange, and Green categories of industries only. The consent fee collection for Red, Orange and Green Category Industries for a period of 5, 10 & 15 years respectively, as recommended in the document of classification of the industrial sectors by CPCB.

c) Consent Fee for Industrial Sectors:

The consent fee is estimated based on capital investment and categorization of industry only. Accordingly, the formula to estimate the Annual Consent Fee (CF) for the industry is:

$$CF = CI * SF * PIF$$

Where

- CF : Annual Consent Fee (in Rs. / Annum)
- CI : Capital Investment (in Rs.)
- SF : Scale Factor (based on CI)
- PIF : Pollution Index Factor (based on Category)

The **Scale Factor (SF)** according to capital investment slabs are:

<i>Capital Investment</i>	<i>Factor (SF)</i>
Rs. 1 Crore and below	0.100%
Exceeding Rs. 1 Crore but not exceeding Rs.10 Crores	0.080%
Exceeding Rs. 10 Crores but not exceeding Rs.50 Crores	0.060%
Exceeding Rs. 50 Crores but not exceeding Rs.250 Crores	0.040%
Exceeding Rs. 250 Crores but not exceeding Rs.500 Crores	0.030%
Exceeding Rs. 500 Crores but not exceeding Rs.1000 Crores	0.020%
Exceeding Rs. 1000 Crores	0.010%

The **Pollution Index Factor (PIF)** are:

<i>Category of Industry</i>	<i>Factor (PIF)</i>
Green	1.00
Orange	1.50
Red	2.00

Further, it is recommended to keep the maximum fee of the preceding slab as the basic fee of the next slab and the SF will be applicable on the difference amount. The same is shown below:

$$\text{Consent Fee (CF): Max. fees of the preceding slab} + \{(\text{Diff. of CI}) * \text{SF} * \text{PIF}\}$$

Also recommended to keep a minimum consent fee on each slab of capital investment in the respective sector, as the Scale Factor reduces on higher investment. Accordingly, the minimum consent fee i.e. the basic fee as Rs. 5,000 per annum and the PIF factor will be applicable on above according to the category of industrial sector. (Green :1, Orange: 1.5 and Red: 2).

d) Consent Fee for Local Bodies and Infrastructure projects (Residential and others):

The CTE fee for Infrastructure Projects covered under EIA viz. Residential (Standalone Apartment / complexes), Layouts, Integrated projects, Commercial Complex, Office Complex, Education Institutions, Township and Local Body including Water Supply and Sewerage Board shall be charged on the basis of capital investment during the establishment phase as per the formula adopted for the industrial sector.

Subsequently, the Consent fee for CTO shall be based on the quantity of sewage generated and treated by installing Sewage Treatment Plant (STP). Accordingly, the recommended fee for CTO is as follows:

Consent Fee /Annum based on STP capacity

S. No.	Sewage generated & treated	Local Bodies & Residential (Rs.)	Other than Residential (Rs.)
1	Up to 10 KLD	5,000	7,500
2	Above 10 - 50 KLD	15,000	22,500
3	Above 50 -100 KLD	25,000	37,500

4	Above 100 – 300 KLD	35,000	52,500
5	Above 300 – 500 KLD	55,000	82,500
6	Above 500 – 1 MLD	65,000	97,500
6	Above 1 to 5 MLD	75,000	1,12,500
7	Above 5 to 10 MLD	1,00,000	15,00,00
8	Above 10 MLD to 25 MLD	2,00,000	30,00,00
9	Above 25 MLD	4,00,000	60,00,00

e) Consent Fee for Mining Projects:

The Annual Consent Fee for Mining Activity is estimated based on the Consented Capacity of mineral to be mined, Type of Mineral, Mining Area, and Type of Mining. Accordingly, the formula to estimate the Annual Consent Fee (CF) is:

$$CF = CC * MF * AF * TMF$$

Where,

- CF: Annual Consent fee (in Rs. / Annum)
- CC: Consented Capacity of Mineral (in Tonne / Annum)
- MF: Mineral Factor (based on type of Mineral)
- AF: Mineral Area Factor (in Rs. based on Mining area)
- TMF: Type of Mining Factor (based on type of mining)

S. No	Minerals	MF (Rs)	Lease hold area in Ha	AF	Type of Mining	TMF
1	Manganese, Chromite, Steatite, Barites, Mica, Gold, Uranium, Silver, Copper, Lead, Zinc	1	< 5	1	Open Cast	1.25
2	Iron, Bauxite, Coal	0.8	5 - 25	1.2		
3	Dolomite, Limestone, Gypsum, Feldspar, Garnet, Quartz, Silica State Stone, Bentonite, Pyrolylite, Graphite, Phosphorite, Clays – China, White, Fire and Ball	0.6	25 - 100	1.4	Under Ground	1
4	Other minerals such as stone quarry, Granite, Marble, River Sand / River bed material etc.	0.4	100 - 500	1.6		
			> 500	1.7		

Also recommended to keep a minimum consent fee i.e. the basic fee as Rs. 5,000 per annum.

f) Consent Fee for Coffee Pulping activities:

The Annual Consent Fee for Coffee Pulping, it is suggested to keep only basic fee and Pulping Factor for Wet & Dry Pulping irrespective of capacity of operation, as it is a seasonal production. Accordingly, the formula to estimate the Annual Consent Fee (CF) for the Pulping Industry is:

$$CF = BF * PF$$

Where,

- CF: Annual Consent fee (in Rs. / Annum)
- BF: Basic Fee (in Rs.)
- PF: Pulping Factor (based on type of pulping)

Accordingly, the factors are as follows:

- Basic Fee (BF): Rs. 2,500 per Annum

- Pulping Factor (PF):

S. No.	Type of Pulping	PF
1	Wet Pulping	1.25
2	Dry Pulping	1.00

g) Consent Fee for Aqua Culture activities:

The Annual Consent Fee for Aqua Culture based on Lease Hold Area and the consent fee per annum is:

S. No.	Lease Hold Area	Consent Fee (Rs.) /Annum
1	Up to 5 Ha	Nil
2	Between 5 to 25 Ha	Rs. 5,000
3	Between 25 to 100 Ha	Rs. 25,000
4	More than 100 Ha	Rs. 1,00,000

h) Consent Fee for establishment having DG as the only source:

The activity / establishment having Diesel Generator (DG) set as the only source of air pollution, the consent fee under Air Act is:

S. No.	Rating of D.G. Set	Consent Fee (Rs) / D.G. Set / Annum
1	≤ 250 KVA	Nil
2	250 KVA to ≤ 500 KVA	Rs.1000
3	500 KVA to ≤1MVA	Rs.2000
4	> 1 MVA	Rs.5000

i) Rebate and Late fee for Renewal of Consent:

The industry shall be provided 5% rebate on consent fee for submitting consent renewal application within the stipulated time of 120 days under the Water & the Air Act. Further, it is recommended to impose late fee / closure directions respectively for late submission and expiry of consent. In view of this, it is recommended to impose the following late fee, to avoid last minute submission of a consent renewal application by Industries and also to be more watchful by the industry.

Period of applying for Renewal	Additional Fee as Late fee
Before 120 days of expiry of consent	Minus (-) 5%
Between 120 – 45 days of expiry of consent	25%
Between 45 days to till the date of expiry	50%
After expiry date of consent	Closure Notice for disconnection of power supply and subsequent application for renewal shall be treated as new application with 100% extra consent fee for one year.

j) Incentives to the Industry:

The industries adopting Environmental Conservative measures to reduce water, air and land pollutions, conservation of natural resources (resource consumption per unit production) and voluntary initiatives without SPCBs / PCCs directions / involvement to protect the environment using best technologies, cleaner technology, achieving below the National / Location specific standards shall be identified and incentives may be given in the form of a Green award, Cash award accordingly.

k) Revision of consent fee:

Consent fees are not revised by the SPCBs / PCCs for many years resulting in revenue loss. In view of this, it is proposed to revise the consent fee based on an Annual Growth Rate arrived with reference to Wholesale Price Index (WPI) / Consumer Price Index (CPI) / RBI Target Inflation issued periodically by Government of India once **in every five years** by applying formula as below:

$$\text{Revised Consent Fee} = \text{Existing Consent Fee} * (1 + \% \text{ increase in fee})$$

Considering all above aspects, it is recommended to increase consent fee by 20% once in every five years by SPCB/PCC.

l) Authorization under various Rules of EPA:

The activities which are not covered under the Water & Air Acts, but required to obtain authorization under various Rules notified under Environment (Protection) Act, 1986, SPCBs/PCCs may consider to issue authorization for 5 years and recommend charging Rs. 10,000 as an “Administrative Charge” for issuing Authorization. The same may be notified by the State to collect the same as there is no provision under Rules notified under EPA.

The SPCB/PCC may issue consolidated consents (Water & Air) along with Authorization as required under various Rules notified under the Environmental (Protection) Act, 1986. Also, recommends adding a factor of 1.1 to the estimated consent fee where authorization is required to be issued along with CTO.